

My Notes.....

राष्ट्रीय

भ्रष्टाचार की सूची में विश्व में 81वें रैंक पर भारत

भारत को विश्व भर में भ्रष्टाचार के मामले में 81वें रैंक पर रखा गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए 'वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक' में भारत को 81 वें पर रखा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार और प्रेस स्वतंत्रता के मामले में सबसे खराब स्थिति वाले मामले में देश का नाम रखा गया। इस सूचकांक में सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर 180 देशों को रखा गया था जिसमें भारत को 81 वें स्थान रखा गया है। पिछले साल 2016 में भारत 176 देशों में 79 वें स्थान पर था। सूचकांक 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, जहां 0 अत्यधिक भ्रष्ट को दिखाता है वहीं नंबर 100 बहुत भ्रष्टाचारमुक्त को बताता है। इसमें भारत ने पूर्व की भांति 40 स्कोर प्राप्त किया। 2015 में भारत का स्कोर 38 था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आगे कहा, "एशिया प्रशांत के कुछ देशों में, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, विपक्षी नेताओं और यहां तक कि कानून प्रवर्तन या निगरानी एजेंसियों के कर्मचारियों को जान मारने तक की धमकी दी जाती है और यहां तक कि कुछ सबसे खराब मामलों में भी उनकी हत्या भी कर दी जाती है।"

क्या है

1. फिलीपींस, भारत और मालदीव इस मामले में सबसे खराब स्थिति पर हैं। इन देशों में भ्रष्टाचार चरम पर है, साथ ही यहां प्रेस स्वतंत्रता की कमी और वरिष्ठ पत्रकारों की मौतें आम बात हैं।
2. नवीनतम रैंकिंग में न्यूजीलैंड और डेनमार्क क्रमशः 89 और 88 के स्कोर के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहे। दूसरी ओर सीरिया, दक्षिण सूडान और सोमालिया क्रमशः 14, 12 और 9 के स्कोर के साथ सबसे कम स्थान पर रहे।
3. इस बीच, 41 अंकों के साथ चीन को 77 वें स्थान पर रखा गया था, जबकि ब्राजील को 37 के स्कोर के साथ 96 वें स्थान पर रखा गया था वहीं रूस 29 अंकों के साथ 135 वें स्थान पर था।
4. इन परिणामों से ये भी निकल कर आया कि प्रेस और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की कम सुरक्षा वाले देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति सबसे बुरी है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुख्य सुझाव

1. स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र मीडिया, राजनीतिक असहमतियों तथा एक खुले और सक्रिय नागरिक समाज को प्रोत्साहित करने के लिये सरकारों और व्यवसायों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
2. सरकारों को परंपरागत और नए मीडिया पर विनियमन को अधिक कठोर नहीं करना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि पत्रकार दमन अथवा हिंसा के भय के बिना काम कर सकें।
3. इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं को विकास सहायता या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक पहुँच के संदर्भ में प्रेस की स्वतंत्रता की प्रासंगिकता पर भी विचार करना चाहिये।
4. सिविल सोसाइटी और सरकारों को उन कानूनों को बढ़ावा देना चाहिये जो सूचनाओं तक पहुँच पर केंद्रित हैं।
5. यह पहुँच भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में सहायता करती है।
6. सरकारों को ऐसे कानूनों के उचित वैधानिक ढाँचे में निवेश के साथ ही इनके कार्यान्वयन के लिये भी प्रतिबद्ध होना चाहिये।
7. राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सुधारों की वकालत तथा इन्हें बढ़ावा देने के लिये सरकारों और कार्यकर्ताओं को संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों द्वारा प्रदत्त अवसरों का लाभ उठाना चाहिये। विशेष रूप से, सरकारों को सूचनाओं तक पहुँच और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इन्हें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं से पूरित करना चाहिये।

5. सीपीजे के आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि पिछले छह सालों में, 10 में 9 पत्रकारों को उन देशों में मार दिया गया, जिन्होंने सूचकांक पर 45 या उससे कम अंक हासिल किया था।

कावेरी जल विवाद पर फैसला

दशकों पुराने कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। इस फैसले के तहत अब तक तमिलनाडु को मिलने वाले 192 टीएमसी पानी घटकर 177.25 टीएमसी हो गया है यानि फैसले से कर्नाटक फायदे में है वहीं केरल व पांडिचेरी के जल आवंटन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल (CWDT) के अंतिम आदेश के खिलाफ कर्नाटक और तमिलनाडु द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला 16 फरवरी 2018 को सुनाया है।

क्या है

- 5 फरवरी 2007 को CWDT के फैसले से दोनों राज्य नाराज और असहमत थे। 20 सितंबर 2017 को लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम

पृष्ठभूमि

- कावेरी नदी के पानी को लेकर पहला समझौता मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज के बीच 1892 में हुआ और दूसरा 1924 में। 1924 में हुआ दूसरा समझौता 1974 में समाप्त हुआ।
- मई 1990:** उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को कावेरी जल विवाद पंचाट गठित करने का आदेश दिया। तमिलनाडु 1970 से ही इसकी मांग कर रहा था। दो जून 1990 को केन्द्र ने कावेरी जल विवाद पंचाट के गठन की अधिसूचना जारी की।
- जनवरी 1991:** कावेरी जल विवाद पंचाट ने अंतरिम राहत संबंधी तमिलनाडु की अर्जी खारिज की; तमिलनाडु इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचा।
- अप्रैल 1991:** उच्चतम न्यायालय ने कावेरी जल विवाद पंचाट को निर्देश दिया कि वह अंतरिम राहत के लिए तमिलनाडु की अर्जी पर विचार करे।
- जून 1991:** कावेरी जल विवाद पंचाट ने अंतरिम फैसला सुनाया। कर्नाटक को 205 टीएमसीफुट पानी छोड़ने का आदेश दिया। कर्नाटक ने आदेश रद्द करने के लिए अध्यादेश जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, कर्नाटक के अध्यादेश को रद्द किया और कावेरी जल विवाद पंचाट का अंतरिम आदेश बरकरार रखा। कर्नाटक ने इसे मानने से इनकार किया।
- 11 दिसंबर 1991:** अंतरिम फैसला भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हुआ।
- अगस्त 1998:** केन्द्र ने कावेरी नदी प्राधिकरण का गठन किया, ताकि कावेरी जल विवाद पंचाट का अंतरिम फैसला लागू करना सुनिश्चित हो सके।
- आठ सितंबर 2002:** तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता वाले कावेरी नदी प्राधिकरण ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया।
- पांच फरवरी 2007:** कावेरी जल विवाद पंचाट ने 17 साल बाद अंतिम फैसला सुनाया। पंचाट ने तमिलनाडु के पानी देने के संबंध में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज के बीच 1892 और 1924 में हुए दोनों समझौतों को वैध बताया।
- 14 जुलाई 2017:** उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह दोनों राज्यों के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मामले पर संतुलित तरीके से विचार करेगा। कर्नाटक ने अनुरोध किया तमिलनाडु को 192 टीएमसीफुट के स्थान पर 132 टीएमसीफुट पानी दिया जाये।
- 20 सितंबर 2017:** उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा।
- 16 फरवरी 2018:** उच्चतम न्यायालय ने अंतिम फैसला सुनाया। कर्नाटक को प्रतिवर्ष तमिलनाडु के लिए 404.25 टीएमसीफुट पानी छोड़ने को कहा। कावेरी जल विवाद पंचाट ने पहले तमिलनाडु को 419 टीएमसीफुट पानी देने को कहा था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कावेरी जल पर उसका फैसला अगले 15 साल तक प्रभावी रहेगा।

कोर्ट के तीन जजों वाली बेंच ने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल द्वारा CWDT के 2007 के फैसले के खिलाफ दर्ज करायी गई अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।

2. कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलने वाली कावेरी नदी तमिलनाडु में बहते हुए पूम्पुहार में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तीन भारतीय राज्यों- तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के अलावा पांडिचेरी कावेरी बेसिन में है।
3. लगभग साढ़े सात सौ किलोमीटर लंबी ये नदी कुशालनगर, मैसूर, श्रीरंगापटना, त्रिचिरापल्ली, तंजावुर और मडलादुथुरई जैसे शहरों से गुजरती हुई तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
4. कर्नाटक, तमिलनाडु के अलावा विवाद में कूदे ये भी...
5. नदी के बेसिन में कर्नाटक का 32 हजार वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का 44 हजार वर्ग किलोमीटर का इलाका शामिल है। दोनों ही राज्यों का कहना है कि उन्हें सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है और इसे लेकर दशकों से उनके बीच लड़ाई जारी है।
6. तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ही इसे लेकर मुख्य विवाद है लेकिन चूंकि कावेरी बेसिन में केरल और पांडिचेरी के कुछ इलाके शामिल हैं तो इस विवाद में वे भी शामिल हो गए हैं।
7. कावेरी के जल पर कानूनी विवाद का इतिहास काफी पुराना है। 1892 में तत्कालीन मैसूर रियासत और मद्रास प्रेसीडेंसी के बीच पानी के बंटवारे को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। इसके बाद 1924 में भी विवाद के निपटारे की कोशिश की गई लेकिन बुनियादी मतभेद बने रहे।

कावेरी ट्रिब्यूनल का फैसला

1. जून 1990 में केंद्र सरकार ने कावेरी ट्रिब्यूनल, जिसने 16 साल की सुनवाई के बाद 2007 में फैसला दिया कि प्रति वर्ष 419 अरब क्यूबिक फीट पानी तमिलनाडु को दिया जाए जबकि 270 अरब क्यूबिक फीट पानी कर्नाटक के हिस्से आए।
2. कावेरी बेसिन में 740 अरब क्यूबिक फीट पानी मानते हुए ट्रिब्यूनल ने यह फैसला दिया केरल को 30 अरब क्यूबिक फीट और पुदुचेरी को 7 अरब क्यूबिक फीट पानी देने का फैसला दिया गया। लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने समीक्षा याचिका दायर की।
3. 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाले कावेरी नदी प्राधिकरण ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वो रोज तमिलनाडु को नौ हजार क्यूसेक पानी दे।
4. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को फटकार लगाई और कहा कि वो इस फैसले पर अमल नहीं कर रहा है। कर्नाटक सरकार ने इसके लिए माफी मांगी और पानी जारी करने की पेशकश की।
5. इसे लेकर कर्नाटक में हिंसक प्रदर्शन हुए। कर्नाटक ने फिर पानी रोक दिया तो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने अगस्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार उन्हें पानी दिया जाए। अब अदालत ने कर्नाटक सरकार से कहा है कि वो अगले 10 साल तक तमिलनाडु को 12 हजार क्यूसेक पानी दे।
6. वर्तमान में दोनों ही राज्य कावेरी नदी के पानी के बंटवारे पर ट्रिब्यूनल के 1991 के निर्देशों का ही पालन कर रहे हैं।

मानव तस्करी पर कड़े दंड का प्रावधान

मानव तस्करी पर कड़ी सजा और पीड़ित को सुरक्षा व पुनर्वास का प्रावधान करने वाले मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक 2018 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को लोकसभा में पेश करने की बुधवार को मंजूरी दी। मानव तस्करी मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। इस अपराध से निबटने के लिए अभी तक कोई विशेष कानून नहीं है। इसीलिए मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) 2018 तैयार किया गया है।

क्या है

1. यह विधेयक मानव तस्करी पर लगाम लगाने और पीड़ित को सुरक्षा और पुनर्वास के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
2. यह प्रस्तावित कानून हर तरह की मानव तस्करी पर लागू होगा जिसमें जबरदस्ती मजदूरी कराना, भीख मंगवाना, समय से पहले यौन परिपक्वता के लिए हारमोन व रासायनिक पदार्थ देना, शादी या शादी के झांसे में फंसा कर महिलाओं व बच्चों की तस्करी शामिल है।

3. इतना ही नहीं विधेयक में तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी में सहायता करने के लिए जाली कागजात बनवाने अथवा छापने व बांटने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है। इसमें न्यूनतम 10 वर्ष के सश्रम कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा कम से कम एक लाख रुपये के दंड का भी प्रावधान है।
4. कानून समयबद्ध अदालती सुनवाई के साथ पीड़ितों, गवाहों और शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी पहचान उजागर नहीं किये जाने की बात करता है।
5. इसके अलावा पीड़ित की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसके बयान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये रिकार्ड करने की व्यवस्था है। इससे सीमा पार व अंतरराज्यीय अपराधों के निपटारे में भी मदद मिलेगी।
6. मुकदमों की तेजी से सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालतें होंगी। मानव तस्करी रोकने के लिए जिला राज्य व केन्द्र स्तर पर ढांचागत तंत्र होगा जो तस्करी रोकने के साथ ही पीड़ित के पुनर्वास, सुरक्षा और जांच के लिए भी उत्तरदायी होगा।
7. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी विरोधी ब्यूरो की तरह काम करेगी। यह कानून अपराध से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निपटने की भी व्यवस्था करता है।
8. प्रस्तावित कानून में विशेष तौर पर पीड़ित के पुनर्वास और सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। पहली बार पुनर्वास कोष बनाया गया है जिसका उपयोग पीड़ित के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक देखभाल के लिए होगा। इसमें उसकी शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, मनोवैज्ञानिक सहयोग, कानूनी सहायता और सुरक्षित निवास शामिल है।
9. इस कानून में बचाए गए पीड़ित को शारीरिक, मानसिक आघात से निपटने के लिए 30 दिन के भीतर अंतरिम सहायता और आरोपपत्र दाखिल होने की तिथि से 60 दिन के भीतर उचित मदद देने का प्रावधान किया गया है।

रुस्तम-2 का सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चलाकरे में रुस्तम-2 ड्रोन का सफल परीक्षण किया। रुस्तम-2 मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम मानवरहित विमान (यूएवी) है।

क्या है

1. अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोनों की तर्ज पर रुस्तम-2 को विकसित किया गया है ताकि यह सशस्त्र बलों के लिए निगरानी एवं रेकी की भूमिकाओं को अंजाम दे सके।
2. डीआरडीओ ने चित्रदुर्ग के चलाकरे में अपने एरोनॉटिकल परीक्षण रेंज (एटीआर) में 25 फरवरी 2018 रुस्तम-2 का सफल परीक्षण किया।
3. डीआरडीओ ने कहा कि सफल परीक्षण के सभी मानक 'सामान्य रहे।' रुस्तम-2 अलग-अलग तरह के पेलोड साथ ले जाने में सक्षम है।

महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महानदी जल विवाद के न्यायिक निपटारे के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। न्यायाधिकरण संपूर्ण महानदी बेसिन में पानी की उपलब्धता, प्रत्येक राज्य के योगदान, प्रत्येक राज्य में जल संसाधनों के वर्तमान उपयोग और भविष्य के विकास की संभावना के आधार पर जलाशय वाले राज्यों के बीच पानी का बँटवारा निर्धारित करेगा। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद कानून, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से मनोनीत करेंगे। आईएसआरडब्ल्यूडी कानून, 1956 के प्रावधानों के अनुसार, न्यायाधिकरण को

अपनी रिपोर्ट और फैसले तीन वर्ष की अवधि के भीतर देने होंगे, जिसे अपरिहार्य कारणों से दो वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।

न्यायाधिकरण द्वारा विवाद के न्यायिक निपटारे के साथ ही महानदी पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच लंबित विवाद का अंतिम निपटारा किये जाने की आशा है।

क्या है

1. इस विधेयक में अंतर्राज्यीय जल विवाद निपटारों के लिये अलग-अलग अधिकरणों की जगह एक स्थायी अधिकरण (विभिन्न पीठों के साथ) की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम छह सदस्य शामिल होंगे।
2. अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि को पाँच वर्ष अथवा 70 वर्ष तय किया गया है।
3. अधिकरण के उपाध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल जल विवादों के निर्णय के साथ सह-समाप्ति आधार पर होगा।
4. इसके अतिरिक्त अधिकरण को तकनीकी सहायता देने के लिये आकलनकर्ताओं (केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा में सेवारत विशेषज्ञ) की भी नियुक्ति की जाएगी।
5. जल विवादों के निर्णय के लिये कुल समयावधि अधिकतम साढ़े चार वर्ष तय की गई है। अधिकरण की पीठ का निर्णय अंतिम होगा और संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होगा। साथ ही, इसके निर्णयों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

संवैधानिक प्रावधान

1. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान किया गया है।
2. अनुच्छेद 262 (2) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को इस मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है।
3. विदित हो कि अनुच्छेद 262 संविधान के भाग 11 का हिस्सा है जो केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रकाश डालता है।
4. अनुच्छेद 262 के आलोक में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 को लाया गया।
5. इस अधिनियम के तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु अधिकरण बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बराबर महत्त्व रखता है।

विलुप्त होने के कगार पर 42 भारतीय भाषाएं

विशाल और प्राचीनतम संस्कृति वाले भारत में भाषाओं और उनसे जुड़ी संस्कृतियों का खजाना है। लेकिन हाईटेक युग में आने के बाद भारत में 42 भाषाएं या बोलियां संकट में हैं। ऐसा माना जाता है कि संकटग्रस्त इन भाषाओं को बोलने वाले कुछ हजार लोग ही हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार इन 42 भाषाओं में से कुछ भाषाएं विलुप्त प्राय भी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी ऐसी 42 भारतीय भाषाओं या बोलियों की सूची तैयार की है। यह सभी खतरे में हैं और धीरे-धीरे विलुप्त होने की ओर बढ़ रही हैं। संकटग्रस्त भाषाओं में 11 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हैं।

क्या है

1. इन भाषाओं के नाम :- ग्रेट अंडमानीज, जरावा, लामोंगजी, लुरो, मियोत, ओंगे, पु, सनेन्यो, सेंटिलीज, शोम्पेन और तकाहनयिलांग हैं।
2. मणिपुर की सात संकटग्रस्त भाषाएं एमोल, अक्का, कोइरेन, लामगैंग, लैंगरोंग, पुरुम और तराओ हैं। हिमाचल प्रदेश की चार भाषाएं- बघाती, हंदुरी, पंगवाली और सिरमौदी भी खतरे में हैं।
3. अन्य संकटग्रस्त भाषाओं में ओडिशा की मंडा, परजी और पेंगो हैं। कर्नाटक की कोरागा और कुरुबा जबकि आंध्र प्रदेश की गडाबा और नैकी हैं। तमिलनाडु की कोटा और टोडा विलुप्त प्राय हैं।
4. असम की नोरा और ताई रोंग भी खतरे में हैं। उत्तराखंड की बंगानी, झारखंड की बिरहोर, महाराष्ट्र की निहाली, मेघालय की रुगा और पश्चिम बंगाल की टोटो भी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रही हैं।
5. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मैसूर स्थित भारतीय भाषाओं के केंद्रीय संस्थान देश की खतरे में पड़ी भाषाओं के संरक्षण और अस्तित्व की रक्षा करने के लिए केंद्रीय योजनाओं के तहत कई उपाय कर रहा है।

6. इन कार्यक्रमों के तहत व्याकरण संबंधी विस्तृत जानकारी जुटाना, एक भाषा और दो भाषाओं में डिक्शनरी तैयार करने के काम किए जा रहे हैं।
7. इसके अलावा, **भाषा के मूल नियम, उन भाषाओं की लोककथाओं**, इन सभी भाषाओं या बोलियों की खासियत को लिखित में संरक्षित किया जा रहा है। यह सभी वह भाषाएं हैं जिन्हें दस हजार से भी कम लोग बोलते हैं।

22 आधिकारिक भाषाएं:-

1. जनगणना निदेशालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक **भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 सूचीबद्ध भाषाएं हैं**, जो आधिकारिक भाषाएं हैं।
2. संविधान की आठवीं सूची में निहित **अनुच्छेद 344(1) और 351** के तहत राजभाषा हिंदी समेत जिन 22 भाषाओं को मान्यता मिली है,
3. **वह इस प्रकार हैं :-** असमी, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मैतेई (मणिपुरी), मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू।
4. इसके अलावा, **देश में 100 गैर-सूचीबद्ध भाषाएं भी हैं**। इन्हें लोग बड़े पैमाने पर बोलते और लिखते-पढ़ते हैं। समझा जाता है कि इन भाषाओं को कम से कम एक लाख लोग या उससे अधिक लोग बोलते हैं।
5. **इनके अतिरिक्त देश में 31 अन्य भाषाएं भी हैं** जिन्हें विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आधिकारिक भाषा की मान्यता दी हुई है।
6. **जनगणना के आंकड़ों के अतिरिक्त देश में 1635 भाषाएं तार्किक रूप से मातृभाषा हैं।** जबकि 234 अन्य मातृभाषाओं की भी पहचान की गई है।

38 भाषाओं को आठवीं अनुसूची में डालने की मांग
अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोति, भोतिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, धातकी, गढ़वाली, गोंडी, गुज्जरी, हो, कच्चाछी, कामतापुरी, कार्बी, खासी, कोडावा (कोरगी), कोक बराक, कुमायुनी, कुरक, कुरमाली, लीपछा, लिम्बू, मिजो (लुशाई), मगही, मुंदरी, नागपुरी, निकोबारीज, हिमाचली, पाली, राजस्थानी, संबलपुरी/कोसाली, शौरसेनी (प्रकृत), सिरैकी, तेन्चिदी, तुल्लू।

अग्नि-2 मिसाइल का सफल परीक्षण

भारतीय सेना के स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड ने 20 फरवरी 2018 को ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की मारक क्षमता 2, 000 किमी से अधिक है। एक हफ्ते पहले अब्दुल कलाम द्वीप से ही अग्नि-1 मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया था। लंबाई में अग्नि-2 अग्नि-1 से 15 मीटर लंबी है और इसका वजन 17 टन है। हालांकि अग्नि-1 की तरह ही अग्नि-2 मिसाइल भी अपने साथ 1000 किलो का भार ले जा सकती है और इसे सेना में शामिल किया जा चुका है। अग्नि-1 की तरह स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड द्वारा अग्नि-2 का प्रशिक्षण भी अभ्यास के हिस्से के तौर पर किया गया है।

क्या है

1. अग्नि-2 का परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) के पैड 4 पर मोबाइल लॉन्चर से किया गया। अब्दुल कलाम द्वीप को पहले व्हीलर आईलैंड के नाम से जाना जाता था। बताया जा रहा है कि अग्नि-2 की जड़ में पूरा पाकिस्तान आ सकता है।
2. छह फरवरी को अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया था। यह मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है, जिसकी मारक क्षमता 700 किमी है। 15 मीटर की ऊंचाई वाली इस मिसाइल में लिक्विड

भारत की ताकत से डरेगा दुश्मन

1. अग्नि -I (700 किमी की मारक क्षमता)
2. अग्नि- II (2,000 किमी की मारक क्षमता)
3. अग्नि- III और अग्नि- IV (3,500 किमी की सीमा से अधिक मारक क्षमता)
4. भारत के पास हैं सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें भी।
5. 26 दिसंबर, 2016 को भारत ने अग्नि-V का भी किया सफल परीक्षण।

और सॉल्लिड दोनों तरह के ईंधन का प्रयोग हो सकता है, जिसके चलते एक सेकंड में 2.5 किमी प्रति घंटे की दूरी तय करती है।

- हाल में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। भारत के मिसाइल बेड़े में फिलहाल अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-3, अग्नि-4 मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता क्रमशः 700 किमी से 3500 किमी की है।

इंडिया स्किल रिपोर्ट

हाल ही में जारी **इंडिया स्किल रिपोर्ट - 2018** में कौशल विकास के संदर्भ में वर्तमान सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए **भारत को भविष्य में सर्वाधिक श्रम कुशल देश बनाने के लक्ष्य को भी वर्णित किया गया है।** साथ ही इसके अंतर्गत लैंगिक असमानता एवं कम कौशल वाले श्रमिकों के संबंध में और अधिक ध्यान दिये जाने पर भी बल दिया गया है।

क्या है

- देश में कौशल विकास के संबंध में जारी इस रिपोर्ट को कौशल मूल्यांकन **फर्म व्हीबॉक्स, पीपुलस्ट्रिंग, सीआईआई, एआईसीटीई एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम** के सहयोग से तैयार किया गया है।
- व्हीबॉक्स रोजगार योग्यता परीक्षण (वेस्ट) और भारत भर्ती आशय सर्वेक्षण पर आधारित इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 से 2017 के बीच 2 से 2.6 करोड़ लोगों को सरकारी योजनाओं, बढ़ी हुई भर्तियों, बढ़ती उद्यमशीलता और स्वतंत्र कार्य के परिणामस्वरूप लाभकारी रोजगार प्राप्त हुए हैं।
- इन दोनों सर्वेक्षणों में अंतर यह है कि जहाँ एक ओर **व्हीबॉक्स रोजगार योग्यता परीक्षण में ऑनलाइन सर्वेक्षण** के माध्यम से 29 राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेशों के 5,200 संस्थानों (आईआईटी, आईआईएम आदि) के तकरीबन 51 लाख छात्रों की रोजगार कुशलता का आकलन किया गया है।
- दूसरी ओर पीपुल्स स्ट्रिंग द्वारा किये गए भर्ती आशय सर्वेक्षण में भविष्य में होने वाली भर्तियों के रुझानों हेतु 15 विभिन्न क्षेत्रों में 1000 से अधिक संगठनों से कई मुद्दों के विषय में चर्चा की गई।
- इन मुद्दों में भविष्य में कर्मचारियों की आवश्यकताओं, भविष्य की कौशल आवश्यकताओं, प्रशिक्षुओं के संबंध में जागरुकता आदि को शामिल किया गया।

उच्च रोजगार क्षमता वाले टॉप शहर	रैंकिंग
बंगलूरु	1
भोपाल	2
गाजियाबाद	3
नागपुर	4
नई दिल्ली	5
नोएडा	6
पुणे	7
थाने	8
विजयवाड़ा	9

स्वदेशी भरा जा सकेगा पुनः ईंधन

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने एचएएल एयरफील्ड में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में पुनः ईंधन भरने की प्रक्रिया के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ईंधन भरने वाले सत्र के दौरान सिस्टम का प्रदर्शन डिजाइन की आवश्यकताओं के अनुरूप और संतोषजनक था। पुनः ईंधन भरना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कॉकपिट की छत और विमान के दायीं तरफ का एकीकरण किया जाता है।

क्या है

1. इस ऑपरेशन में इंजन के साथ विमान के एक एकल बिंदु दबाव को भरना शामिल है। यह क्षमता युद्ध की स्थितियों में बेहद जरूरी है जो मूल रूप से विमान को पार्क करने, पावर डाउन करने और ईंधन भरने के लिए कॉकपिट से बाहर निकलने के लिए पायलट की जरूरत को अलग रखता है।
2. एलसीए तेजस लिमिटेड सीरिज प्रोडक्शन-8 (एलएसपी -8) के लिए हवाई ईंधन भरने की जांच ब्रिटेन आधारित कोभाम द्वारा की जा रही है।
3. एचएएल तेजस के अलावा आईएएफ लडाकू विमान मिराज में मध्य-उड़ान में फिर से ईंधन भरने वाली क्षमताएं हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2018 तक तेजस में पुनः ईंधन भरने की सुविधा हो जाएगी।

अंधेरे में पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण

भारत ने 21 फरवरी 2018 रात को देश में निर्मित और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण किया। इसे ओडिशा के एक परीक्षण केंद्र से सफलता पूर्वक टेस्ट किया गया। पृथ्वी-2 मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि सेना द्वारा प्रायोगिक परीक्षण के तौर पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को रात करीब साढ़े आठ बजे चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र (आईटीआर) के प्रक्षेपण परिसर-3 से दागा गया। इस सटीक परीक्षण से पहले 18 जनवरी को अग्नि-5, छह फरवरी को अग्नि-1 और कल अग्नि-2 का ओडिशा अपतटीय क्षेत्र स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया था। बीती सात फरवरी को चांदीपुर स्थित आईटीआर से पृथ्वी-2 का भी सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया था।

क्या है

1. अत्याधुनिक पृथ्वी-2 मिसाइल 500 से एक हजार किलोग्राम तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही ये 1000 किलो तक का वजन साथ ले जा सकती है, जिसके चलते यह युद्ध स्थिति में सेना को अधिक मदद पहुंचाएगी।
2. यह दोहरे इंजन वाली तरल प्रणोदक चालित है। इसमें लक्ष्य को भेदने के लिए आधुनिक जड़त्वीय दिशा-निर्देशन प्रणाली (Liquid propellant) लगी है और यह अपने प्रक्षेप पथ पर बड़ी कुशलता से आगे बढ़ती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों की देखरेख में इसका प्रशिक्षण किया गया है।
3. आठ फरवरी को पृथ्वी-2 मिसाइल का इसी जगह से दिन में सफल परीक्षण किया गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के एक वैज्ञानिक ने कहा कि इस अत्याधुनिक मिसाइल को परीक्षण के लिए उत्पादन भंडार से चुना गया।
4. इस नौ मीटर लंबी मिसाइल को वर्ष 2003 में भारतीय सशस्त्र बल में शामिल किया गया था। यह पहली ऐसी मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया है।

‘सारस’ ने भरी दूसरी सफल परीक्षण उड़ान

भारत के हल्के और घातक मालवाहक विमान सारस का दूसरी बार सफल परीक्षण किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि इस ‘मेक इन इंडिया’ के तहत विमान के उत्पादन का मॉडल डिजाइन इसी साल जून-जुलाई में बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने 21 फरवरी 2018 को बताया कि 25 मिनट की परीक्षण उड़ान की कमान वायुसेना के विंग कमांडर यूपी, ग्रुप कैप्टन आरवी पनिकर और ग्रुप कैप्टन केपी भट्ट ने संभाली।

सारस विमान ने एचएएल के हवाई अड्डे से उड़ान भरी। अब तक बीस सफल उड़ानें कर चुके सारस पीटीएन की यह परियोजना बंद होने के बाद से यह दूसरी सफल परीक्षण उड़ान रही। पहली परीक्षण उड़ान इसी साल 24 जनवरी को हुई थी।
क्या है

1. इस विमान की डिजाइन और विकास का काम सीएसआइआर- नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेट्रीज के जिम्मे है। यह विमान 14 सीटों के बजाय 19 सीटों वाला होगा।
2. इस विमान को सफलतापूर्वक विकसित करना भारतीय उड्डयन क्षेत्र में एक गेमचेंजर साबित होगा। उल्लेखनीय है कि पिछली यूपीए सरकार ने वर्ष 2009 में एक परीक्षण के दौरान हुए हादसे के बाद इस परियोजना को बंद कर दिया था।
3. लेकिन नए सिरे से इस परियोजना को शुरू करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' मिशन को जाता है। जे.ए. जाधव के नेतृत्व में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम इस अभियान में जी-जान से जुटी है।
4. सारस का सैन्य वर्जन बनाने के लिए एचएएल को चुना गया है। जबकि इसका घरेलू यानी सिविल वर्जन को बनाने के लिए निजी औद्योगिक क्षेत्र में सक्षम कंपनी की तलाश जारी है।
5. हर्षवर्धन ने बताया कि इस विषय में सरकार की टाटा, महेंद्रा और रिलायंस से बातचीत चल रही है। लेकिन अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। जल्द ही इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा।
6. स्वदेशी सारस विमान अब इसी श्रेणी के आयातित विमान से 20 से 25 फीसद तक सस्ता होगा। यह विमान 70 फीसद घातक उपकरणों से लैस होने पर करीब 40 से 45 करोड़ रुपये का पड़ेगा।
7. जबकि इसी विमान का आयातित वर्जन इससे काफी महंगा यानी 60 करोड़ से 70 करोड़ रुपये तक का पड़ता था। सीएसआइआर के महानिदेशक गिरीश सैनी ने कहा कि सारस एम.के.2 के विकास और प्रमाणीकृत करने में दो से तीन साल का समय लगेगा और इसकी लागत 600 करोड़ रुपये है।
8. सारस एम.के. 2 यात्री वाहन के रूप में आदर्श होगा। इसे केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बतौर एयर टैक्सी, खोजी अभियान और सर्वेक्षण, अधिशासी परिवहन, आपदा प्रबंधन, सीमा पर निगरानी गश्त, तटरक्षक, एयर एंबुलेंस और सामुदायिक सेवाओं के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
9. भारतीय वायुसेना शुरुआती दौर में ऐसे 15 सारस विमान शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएसआइआर-एनएएल ने सारस के एम.के.2ए वर्जन के सैन्य और सिविल विमानों को प्रमाणीकृत कराने का प्रस्ताव रखा है। भारत को अगले दस सालों में 120 से 160 सिविल और सैन्य सारस विमानों की आवश्यकता है।

भारत डायनामिक्स और इरेडा के आईपीओ को सेबी की मंजूरी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (Indian Renewable Energy Development Agency Ltd - IREDA) को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिये मंजूरी प्रदान की गई है। दोनों कंपनियों ने सेबी के पास आईपीओ के लिये जनवरी और दिसंबर के बीच दस्तावेज जमा कराए थे।

क्या है

1. भारत डायनामिक्स लिमिटेड के आईपीओ के तहत सरकार इक्विटी शेयरों की बिक्री करेगी। इससे कंपनी को सूचीबद्धता का भी लाभ मिल सकेगा।
2. भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुई थी।
3. यह निर्देशित प्रक्षेपास्त्र तथा संबंधित रक्षा उपकरण बनाती है। मार्च 2017 के अंत तक कंपनी का नेटवर्थ 2,212.46 करोड़ रुपए था।
4. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज और यस सिक्योरिटीज कंपनी के आईपीओ का प्रबंधन करेगी।

5. इरेडा के आईपीओ के तहत कंपनी के 13.90 करोड़ शेयरों की पेशकश की जाएगी। इसमें से 6.95 लाख शेयर कंपनी के पात्र कर्मचारियों के लिये आरक्षित होंगे।

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा)

1. यह भारत सरकार के 'नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक मिनीरल (श्रेणी 1) प्रकार की कंपनी है।
2. इसका कार्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना तथा इनके विकास हेतु इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
3. इसे 'कंपनी अधिनियम, 1956' की धारा 4 'ए' के तहत 'सार्वजनिक वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचित किया गया है।
4. इसे 'भारतीय रिजर्व बैंक' के नियमों के अंतर्गत 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' के रूप में पंजीकृत किया गया है।
5. इसे वर्ष 1987 में 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था' के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर गठित किया गया था।
6. इसका उद्देश्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोमोट करना, इनका विकास करना तथा इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

जनसंख्या नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाएं

अनियंत्रित हो रही जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कड़े उपाय, नीति व कानून लागू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में तीन जनहित याचिकाएं दाखिल हुई हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार को एक ऐसी नीति बनाने का आदेश दिया जाए जिसमें दो बच्चों की नीति अपनाने वालों को प्रोत्साहन और नीति का उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देने की व्यवस्था हो। याचिका पर अभी फिलहाल सुनवाई की तिथि निश्चित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं वकील अनुज सक्सेना, प्रिया शर्मा व पृथ्वीराज चौहान ने दाखिल की हैं। याचिका में विस्फोटक स्थिति में पहुंच रही जनसंख्या के देश की प्रगति, संसाधन और विकास पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को बताते हुए इसे नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नीतिगत उपाय किये जाने की जरूरत बताई गई है। कहा गया है कि जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा इससे बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, खराब सेहत और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में संसाधन सीमित हैं। इसके अलावा इसका प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग पर भी पड़ता है।

क्या है

1. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जनसंख्या विस्फोट से देश का सारा विकास गड़बड़ा गया है।
2. केंद्र और राज्य की सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण नीति पर विचार करना होगा। वैसे तो सरकार काफी पहले से परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक और शिक्षित करने में लगी है।
3. इस बारे में काफी प्रचार भी किया जाता है। कुछ पढ़े-लिखे लोग इसे अपना रहे हैं जबकि कुछ अभी भी इसका विरोध करते हैं। इस बारे में अभी बड़ा लक्ष्य पाना बाकी है।
4. भारत में जनसंख्या अभी 121 करोड़ पहुंच चुकी है और अगर इसी तरह बढ़ती रही तो बहुत जल्दी 150 करोड़ और फिर 200 करोड़ पर पहुंच जाएगी।
5. जनसंख्या वृद्धि पर रोक सिर्फ कड़े नीतिगत उपायों से ही संभव है। कोर्ट पहले ही अपने 30 मई 2003 के जावेद बनाम हरियाणा राज्य के फैसले में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े प्रावधान किये जाने पर जोर दे चुका है।
6. याचिकाओं में मांग की गई है कि कोर्ट सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय और कानूनी प्रावधान करने का आदेश दे। इसके अलावा सरकार को आदेश दिया जाए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए उसने अभी तक जो उपाय किये हैं, वे कोर्ट के समक्ष पेश करे।

7. कोर्ट सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ऐसी नीति बनाने का आदेश दे जिसमें दो बच्चों की नीति अपनाने वाले परिवारों को प्रोत्साहन और उसका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड की व्यवस्था हो।

भारत ने किया 'धनुष' का सफल परीक्षण

भारत ने 22 फरवरी 2018 को परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल 'धनुष' का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा तट के पास नौसेना के एक पोत से इस मिसाइल को प्रक्षेपित किया गया। इससे पहले इसी महीने भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम स्वदेश निर्मित 'अग्नि-1' बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जो अग्नि-1 का 18वां संस्करण था। इस मिसाइल की क्षमता 350 किलोमीटर है। सूत्रों के अनुसार धनुष मिसाइल बिल्कुल सटीक तरीके से अपना निशाना भेदने में सफल है यह धरती और समुद्र दोनों जगहों से 500 किलो तक की वजनी क्षमता के साथ मार करने में सक्षम है। यह मिसाइल हल्के मुख्वास्त्रों के साथ 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है।

क्या है

1. इस मिसाइल की मारक क्षमता पर डीआरडीओ की निगरानी की गई। यह मिसाइल धरती और समुद्र दोनों जगह पर लक्ष्य को भेद सकती है और इसे पहले ही सशस्त्र बलों में शामिल किया जा चुका है।
2. धनुष मिसाइल का पिछला परीक्षण 9 अप्रैल, 2015 को किया गया था।
3. अगर भारत की स्वदेशी मिसाइलों की बात करें तो उसके पास नाग मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण 1990 में किया गया।
4. इसी तरह भारत ने 1990 में आकाश मिसाइल का परीक्षण किया। जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल की तुलना अमेरिका के पेट्रियॉट मिसाइल से की जाती है।
5. इसके अलावा भारत के पास ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल भी हैं।

संविधान पीठ के हवाले कोर्ट का 'अनुशासन विवाद'

सुप्रीम कोर्ट में उठे न्यायिक अनुशासन के विवाद का निपटारा पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ करेगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ तय करेगी कि क्या तीन न्यायाधीशों की पीठ समान क्षमता वाली पीठ का फैसला रद्द कर सकती है। न्यायिक अनुशासन के फेर में फसे सुप्रीम कोर्ट को विवाद से उबारने के लिए मुख्य न्यायाधीश ने संविधान पीठ का गठन किया है जो 6 मार्च को मामले पर विचार करेगी। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है, जब चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने मीडिया के सामने आकर मुख्य न्यायाधीश की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। वह तूफान अभी थमा नहीं था कि 21 फरवरी को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समान क्षमता वाली पीठ का फैसला रद्द किये जाने के मामले ने तूल पकड़ा।

क्या है

1. जस्टिस मदन बी लोकूर, कुरियन जोसेफ और दीपक गुप्ता की पीठ ने भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की व्यवस्था से जुड़े केस में समान क्षमता की पीठ का फैसला रद्द किये जाने पर आपत्ति की और न्यायिक अनुशासन का मुद्दा उठाया।
2. मौखिक टिप्पणी में पीठ ने कहा कि न्यायिक अनुशासन और औचित्य कायम नहीं रखा गया तो न्यायपालिका का अस्तित्व संकट में होगा। कोर्ट ने ये टिप्पणियां तब की जब वकील मुकुल रोहतगी ने उनका ध्यान गत 8 फरवरी के इंदौर डेवलेपमेंट अथॉरिटी के फैसले की ओर दिलाया।
3. 8 फरवरी को जस्टिस अरुण मिश्रा, आर्दश कुमार गोयल और एम शांतनगौडर की पीठ ने 2-1 के बहुमत से भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के मामले में 2014 को तीन न्यायाधीशों द्वारा की गई व्यवस्था पलट दी थी और उस फैसले को रद्द घोषित कर दिया था।
4. 2014 में जस्टिस आर.एम. लोढा, मदन लोकूर व कुरियन जोसेफ ने व्यवस्था दी थी कि मुआवजे का भुगतान नहीं होना, भूमि अधिग्रहण रद्द होने का आधार बनता है।

5. जबकि गत 8 फरवरी के फैसले में कहा गया कि अगर सरकारी एजेंसी बिना शर्त भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देती है लेकिन भूस्वामी उसे टुकरा देता है तो उस भुगतान को लेकर सरकारी एजेंसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस फैसले में जस्टिस शांतनगौडर की सहमति नहीं थी।
6. जस्टिस लोकूर की पीठ ने 21 फरवरी को यह मामला बड़ी को भेजे जाने पर विचार का मुद्दा लंबित रखते हुए अंतरिम आदेश में उच्च न्यायालयों से कहा था कि वे फिलहाल भूमि अधिग्रहण में मुआवजे पर सुनवाई न करें।
7. साथ ही सुप्रीम कोर्ट की अन्य पीठों से भी अनुरोध किया था कि ऐसे मामलों की सुनवाई टाल दें। अगले दिन ऐसा ही एक मामला जस्टिस अरुण मिश्रा और अमिताव राय के सामने लगा। उन्हें 21 फरवरी का आदेश बताया गया।
8. इस पर जस्टिस मिश्रा की पीठ ने पूरा प्रकरण विचार और उचित पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने मामले पर संज्ञान लेते हुए विवाद पर विचार के लिए संविधान पीठ का गठन किया है। इस पीठ की अध्यक्षता स्वयं मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा करेंगे। उनके अलावा जस्टिस ए.के. सीकरी, ए.एम. खानविल्कर, डी.वाई. चंद्रचूड़ और अशोक भूषण भी पीठ में हैं।
9. इस सारे प्रकरण में एक बात काबिले गौर है कि न्यायिक अनुशासन के विवाद से जुड़े इस मामले में तीन न्यायाधीश कामन हैं। जस्टिस मदन बी लोकूर, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस अरुण मिश्रा। संयोग ही है कि पिछले विवाद में भी ये तीनों नाम शामिल थे।

अन्तरराष्ट्रीय

अमेरिका सीनेट में आब्रजन विधेयक खारिज

अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थित प्रस्ताव समेत आब्रजन सुधार से जुड़े कई अहम प्रस्ताव 16 फरवरी 2018 को खारिज कर दिए। इससे 'ड्रीमर्स' कहे जाने वाले उन लाखों युवा प्रवासियों का भविष्य अधर में लटक गया है, जिन्हें बचपन में गैरकानूनी

तरिके से अमेरिका लाया गया था। इनमें बड़ी तादाद में भारतीय भी शामिल हैं। सीनेट ने ट्रंप प्रशासन के आब्रजन संबंधी द्विपक्षीय करार को भी खारिज कर दिया। इस करार में मैक्सिको की सीमा के पास दीवार बनाने और अन्य सुरक्षा कदमों के लिए 25 अरब डॉलर देने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन इसके बदले अमेरिका के करीब 18 लाख कथित 'ड्रीमर्स' को नागरिकता मुहैया कराने की शर्त रखी गई थी।

क्या है

1. सीनेटरों ने किसी भी आब्रजन योजना को पारित होने लायक पर्याप्त मत नहीं दिए। राष्ट्रपति ट्रंप समर्थित विधेयक को 60 के मुकाबले 39 मत मिले।

आब्रजन सुधार क्या है

1. अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे व्यक्तियों को वहां रहने के लिए वैधता प्रदान करने से जुड़ा प्रयास है
2. राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल में ऐसे आब्रजकों को राहत देने की पहल शुरू की थी
3. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा के कार्यक्रम को खत्म कर आब्रजन सुधार पर सख्त रुख दिखाया
4. अमेरिका जाने वाले एशियाई अवैध आब्रजकों में भारतीय अक्वल
5. 1.10 करोड़ अवैध या गैर-दस्तावेजी आब्रजक हैं अमेरिका में
6. 50 फीसदी के करीब इनमें से मैक्सिको से अमेरिका पहुंचे हैं
7. 14.50 लाख एशियाई अवैध आब्रजक के बतौर अमेरिका में हैं
8. 5,00,000 भारतीय अवैध आब्रजक थे वर्ष 2014 में
9. 3,50,000 थी भारतीय अवैध आब्रजकों की संख्या 2009 में
10. 43 फीसदी की बढ़त हुई करीब छह साल के अंतराल में
11. 14,000 भारतीय वीजा अवधि खत्म होने पर भी अमेरिका में रहे 2015 में
12. 5,500 भारतीय युवा डीएसीए कार्यक्रम के तहत पंजीकृत हैं
13. 1,26,000 एच1-बी वीजा धारी भारतीय थे 2016 में

2. यदि यह विधेयक पारित हो जाता तो 18 लाख अवैध प्रवासियों को स्थायी वैध दर्जा मिल जाता। साथ ही मैक्सिको की सीमा पर दीवार के निर्माण के लिए 25 अरब डॉलर की राशि मिल जाती।
3. व्हाइट हाउस समर्थित विधेयक से परिवार आधारित आव्रजन पर भी रोक लग जाती। विविधता लॉटरी वीजा भी समाप्त हो जाता, लेकिन विधेयक पारित होने के लिए 60 मत कम रह गए।
4. सीनेट में पेश किए गए आव्रजन सुधार से जुड़े सभी चार प्रस्ताव पारित होने में नाकाम रहे। शूमर-राउंड्स-कॉलिंग्स द्विपक्षीय आव्रजन विधेयक को सीनेट ने 54 के मुकाबले 45 मतों से खारिज कर दिया।
5. इसको पारित करने के लिए भी 60 मत कम रह गए। ट्रंप ने इस विधेयक को पूर्ण तबाही करार दिया। व्हाइट हाउस ने इस विधेयक के खिलाफ वीटो इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रुबियो ने कहा, सीनेट के समक्ष बुधवार को प्रत्येक विधेयक पारित होने में असफल रहा।
6. आव्रजन विधेयकों के नाकाम हो जाने से ग्रीन कार्ड के लिए प्रति देश सीमा खत्म करने के प्रयासों पर भी रोक लग गई। सीमा खत्म होने से उच्च कौशल और मेधा वाले भारतीय पेशेवरों को लाभ हो सकता था। कांग्रेस के सदस्य केविन योडर ने सदन में कहा, ग्रीन कार्डों के लिए प्रति देश सालाना सीमा खासकर भारत जैसे कुछ देशों के साथ भेदभाव करती है।
7. ड्रीमर्स का भविष्य अमेरिका में उसी समय अनिश्चित हो गया था, जब ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में लाए गए बचपन में आगमन के लिए स्थगन कार्यवाही (डीएसीए) कार्यक्रम को बीते सितंबर में खत्म कर दिया था और कांग्रेस को छह महीने के अंदर एक समाधान निकालने का मौका दिया था।
8. ट्रंप ने योग्यता आधारित आव्रजन की बात कही थी। लेकिन डेमोक्रेटिक सीनेटर मेनेंजेज ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास वास्तव में योग्यता आधारित आव्रजन के लिए कोई योजना नहीं है।

मालदीव ने बढ़ाया आपातकाल

प्रमुख संसदीय समिति ने राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गय्यूम के आपातकाल को बढ़ाने के आग्रह को स्वीकार कर लिया। इसके बाद संकटग्रस्त मालदीव में 19 फरवरी 2018 को आपातकाल और 30 दिन के लिए बढ़ा दिया गया।

क्या है

1. राष्ट्रपति यामीन ने पीपल्स मजलिस (संसद) में आपातकाल की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था जिसे पीपल्स मजलिस की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान मंजूरी प्रदान कर दी गयी।
2. पीपल्स मजलिस के उपाध्यक्ष सांसद मूसा मानिक ने सोमवार को बैठक के दौरान समिति द्वारा इस अनुरोध को स्वीकार किए जाने की पुष्टि की।

भारत-कनाडा के बीच हुए 6 अहम समझौते

एक हफ्ते के भारत दौरे पर आए कनाडा के पीएम जस्टिन टूडो ने 23 फरवरी 2018 को पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों में 6 समझौते हुए। इन 6 समझौतों में इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमर्सें एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पेट्रोलियम, स्पोर्ट्स, उच्च शिक्षा और साइंस, टेक्नोलॉजी व इन्वोवेशन शामिल है। वार्ता खत्म होने के बाद दोनों देशों के पीएम ने एक साथ प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान पीएम मोदी ने पीएम जस्टिन टूडो के भारत आने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपका आगमन बहुत समय से प्रतिक्षित था। हमें खुशी है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आए हैं। हमें यह भी खुशी है कि हमारी आज की मुलाकात से पहले आपने भारत के कई शहरों का दौरा किया।

क्या है

1. मोदी ने कहा कि भारत कनाडा के साथ रणनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने को बहुत अधिक महत्व देता है। दोनों देशों के संबंध लोकतंत्र, बहुलवाद, कानून की सर्वोच्चता और आपसी संपर्क पर आधारित है।

2. पीएम मोदी ने कहा आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत-कनाडा एक साथ खड़े हैं।
3. उत्तर कोरिया और मालदीव की स्थिति की बात करते समय हमारे समान विचार होते हैं।
4. कनाडा एक एनर्जी सुपरपावर है, जो हमारी ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा कर सकता है।
5. मोदी बोले कि वह और कनाडाई प्रधानमंत्री आतंकवाद और उग्रवाद से मिलकर लड़ने के लिए सहमत हुए हैं।
6. राजनैतिक स्वार्थ तथा अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए धर्म का दुरुपयोग करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।
7. पीएम बोले कि हमारे देश की अखंडता को चुनौती देने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
8. पीएम ने कहा कि कनाडा यूरेनियम का बड़ा सप्लायर है।
9. दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बढ़ाएंगे। कनाडा के साथ आर्थिक संबंधों को और बढ़ाएंगे।
10. मुझे दोनों देशों के बीच अधिक मजबूत साझेदारी और हमारे दोनों देशों के उज्वल भविष्य की आशा है।
11. पीएम टूडो ने कहा कि भारत बिजनेस के लिए विश्वास पात्र देश है।
12. वहीं कनाडा के पीएम जस्टिन टूडो ने कहा कि बिजनेस करने के लिए भारत एक नेचुरल पार्टनर और विश्वास पात्र देश है। उन्होंने कहा कि 'भारत और कनाडा न सिर्फ इतिहास को शेयर करते हैं बल्कि हमारे मूल्यों दोनों देशों के बीच एक प्राकृतिक दोस्ती को प्रोत्साहित करते हैं।'

अर्थशास्त्र

राष्ट्रीय शहरी आवास कोष का गठन

शहरी क्षेत्रों में गरीबों के आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। इसके लिए राष्ट्रीय शहरी आवास कोष का गठन किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय के इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 20 फरवरी 2018 मंजूरी दी गई। इससे गरीबों को आवास के लिए बैंकों से रियायती दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आवास कोष में 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट के इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में मकानों की कमी को आसानी से पूरा करने में आसानी होगी। इससे गरीबों एवं झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को कम ब्याज दर पर सस्ते मकान उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी।

क्या है

1. सरकार ने 2022 तक 1.2 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले चार सालों में देश के कमजोर वर्ग को छत मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है।
2. शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 39.4 लाख मकानों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। अब तक 17 लाख से ज्यादा मकानों का निर्माण शुरू भी हो चुका है, जिसमें पांच लाख मकान बन भी गये हैं।
3. सरकार ने यह पहल अपने सबको मकान देने के वायदे को पूरा करने के लिए किया है। सभी राज्य सरकारों ने केंद्र के इस फैसले को आगे बढ़कर लागू किया है। शहरी बुनियादी सुविधाओं और शहरों के आसपास बसी झुग्गी झोपड़ियों को हटाने में इस योजना की अहम भूमिका है।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की योजना से जरूरतमंद लोगों को काफी लाभ हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बैंकों और आवासीय ऋण कंपनियों से ऋण मुहैया कराया जा रहा है।
5. सरकार की इस योजना के तहत पिछले आठ महीनों में करीब 87 हजार आवासीय ऋण मंजूर किए जा चुके हैं। हालांकि अभी 40 हजार लोगों में आवासीय ऋण के लिए आवेदन किया है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

‘चिट फंड अधिनियम’ में संशोधन की मंजूरी

कायदे-कानून का पालन किए बिना संचालित जमा योजनाओं के जरिए भोले भाले निवेशकों के साथ ठगी पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार संसद में एक नया विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘चिट फंड अधिनियम’ में संशोधन का भी निर्णय लिया गया ताकि लोगों को अन्य वित्तीय निवेश योजनाओं में धन लगाने का एक अधिक व्यवस्थित अवसर मिल सके। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि **अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल और चिटफंड (संशोधन) बिल 2018** को संसद में पेश किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

क्या है

1. इस विधेयक का लक्ष्य देश में चल रही अवैध जमा योजनाओं पर रोक लगाना है। ऐसी योजनाएं चलाने वाली कंपनियां/संगठन मौजूदा नियामकीय खातियों तथा प्राशासनिक उपायों की कमजोरी का फायदा उठाकर भोले भाले लोगों की मेहनत की कमाई को ठग लेती हैं।
2. चिट फंड अधिनियम में बदलाव के उद्देश्य के बारे में कहा गया कि प्रस्तावित संशोधन इस क्षेत्र में व्यवस्थित वृद्धि लाने और इस क्षेत्र के सामने रुकावटों को दूर करना है। संशोधन से लोगों को अन्य वित्तीय उत्पादों में निवेश के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
3. इस बिल के कानून की शकल लेने पर ऐसी डिपॉजिट स्कीम, जिसके लिए सरकार ने रेग्युलेशन नहीं जारी किया है, गैरकानूनी हो जाएंगे। अभी वर्चुअल करंसी में ट्रेडिंग पर कोई रेग्युलेशन नहीं है। हालांकि, देश में इसकी ट्रेडिंग बैन नहीं है।
4. देश में बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करंसी में बढ़ रही ट्रेडिंग को लेकर आरबीआई लोगों को बार-बार आगाह कर रहा है। उसका कहना है कि इसके लिए कोई रेग्युलेशन नहीं है और किसी तरह के नुकसान को लेकर इन्वेस्टर्स खुद जिम्मेदार होंगे।

बिल की अहम बातें

1. एक ऑनलाइन डाटाबेस बनेगा जिसमें अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीमस की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी।
2. कोई भी संस्था डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, विज्ञापन के जरिए या फिर लोगों से आग्रह कर अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम नहीं चलाएगी।
3. नियम तोड़ने पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक के लिए जेल की सजा हो सकती है। साथ ही जितना फंड स्कीम के तहत जुटाया गया है, उसका दो गुना तक जुर्माना भरना होगा।
4. अगर कोई संस्था रेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम में मियाद पूरी होने पर धोखा कर पैसा वापस नहीं चुकाए तो उसके लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
5. जमाकर्ताओं के पैसे जुटाने के लिए संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। इसके साथ गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे को प्रभावित लोगों के बीच बांटने की भी व्यवस्था होगी।
6. संपत्ति जब्त करने और प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने का काम तय समय सीमा के अंदर होगा।

चिटफंड कानून में होगा बदलाव

1. चिटफंड (संशोधन) बिल 2018 को भी मंजूरी दे दी है, जिससे पोंजी स्कीम पर रोक लग सकेगी। इस बिल के जरिए चिटफंड अधिनियम 2018 में बदलाव किया जाएगा।
2. इससे चिटफंड कंपनियां नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट बाजार में उतार सकेंगी। संशोधन के जरिए चिटफंड कंपनियों को चलाने के तौर-तरीकों में भी बदलाव किया जाएगा।
3. इसका मकसद देश में गैरकानूनी तरीके से चल रही स्कीम पर रोक लगाना है। बिल में इस तरह की डिपॉजिट स्कीम चलाने वालों के खिलाफ सख्त सजा तय की गई है।

दुनिया की पहली क्रिप्टोकरंसी हुई सरकारी

लैटिन अमेरिका का बड़ा देश वेनेजुएला दूसरी बार आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस बीच देश ने इस संकट से उबरने के लिए एक गैरपारंपरिक फैसला लिया है। देश ने तेल आधारित क्रिप्टोकरंसी पेट्रो की शुरुआत की है। जानकारी के लिए बता दें कि यह सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त दुनिया की पहली क्रिप्टोकरंसी है। अधिकांश लोग क्रिप्टोकरंसी में बिटकॉइन को सबसे ज्यादा जानते हैं। इसी तरह पेट्रो भी एक अन्य क्रिप्टोकरंसी है। देश की वामपंथी सरकार ने शुरुआती बिक्री के लिए इसकी 3.84 करोड़ इकाइयां पेश की है। इसकी बिक्री 19 मार्च तक चलेगी।

क्या है

1. वेनेजुएला के प्रधानमंत्री निकोलस मद्रो के मुताबिक बिक्री के शुरुआती 20 घंटों के अंदर पेट्रो को 73.5 करोड़ डॉलर की पेशकश मिली है। उन्होंने बताया, “पेट्रो हमारी स्वतंत्रता एवं आर्थिक स्वायत्तता को मजबूत करता है। यह हमें उन विदेशी ताकतों के जाल में फंसने से बचने में मदद करेगा जो हमारा तेल बाजार जब्त कर हमें घुटन में रखने की कोशिश कर रही है।”
2. वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है। हालांकि देश में फिलहाल आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझा जा रहा है। लोग यहां से पलायन को मजबूर हैं। यहां की करेंसी की स्थिति भी काफी दयनीय है। ब्रेड और पानी तक खरीदने के लिए लोगों को काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है।

‘हाई रिस्क’ कंपनियों की सूची जारी

वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) ने ‘हाई रिस्क’ वाली 9,491 से ज्यादा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की एक सूची जारी की है। एफआईयू-इंडिया की वेबसाइट पर जारी इस सूची में उन कंपनियों के नाम शामिल हैं जिन्हें ‘हाई रिस्क’ कैटिगरी में रखा गया है। दरअसल, एफआईयू ने अपनी जांच में पाया है कि इन सभी एनबीएफसी ने 31 जनवरी तक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नियमों का पालन नहीं किया था। 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के बाद कई नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों पर आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की खास नजर थी, क्योंकि इन कंपनियों पर काला धन रखने वालों की मदद करते हुए उनके पुराने नोट बदलवाने का संदेह था।

क्या है

1. उस वक्त भी कई एनबीएफसी और सहकारी बैंकों को पुराने नोटों को अवैध तरीके से नए नोटों में बदलवाने में शामिल पाया गया था। इन कंपनियों और सहकारी बैंकों ने काले धन को बैंक डेट की एफडी दिखाकर चेक जारी कर दिए, जबकि रिजर्व बैंक ने इन्हें ऐसे डिपॉजिट्स लेने से साफ मना किया था।

क्या हैं वेनेजुएला के आर्थिक संकट के कारण

1. वेनेजुएला और कोलंबिया जैसे देशों में राजनीतिक अस्थिरता काफी ज्यादा है। यहां मिलीटेंसी का दबदबा थोड़ा ज्यादा है। यहां पर वामपंथी विचारधारा के लोगों का भी दबदबा है और मिलिटेंट आर्गनाइजेशन का स्थानीय सरकारों के साथ संघर्ष चल रहा है। यहां काफी सालों से गोरिल्ला वार जैसी स्थिति बनी हुई है। यह एक मुख्य कारण जिस वजह से इस देश की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं चल रही है।
2. वहीं दूसरी तरफ जैसा कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक बड़ा देश है और यहां तेल एवं गैस का अकूत भंडार है। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने देश की राजनीति पर अपना दबदबा बनाने और यहां की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के काफी प्रयास किए हैं।
3. अमेरिका और क्यूबा के बीच में जो स्थिति बनी थी वही स्थिति कमोबेश अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बनती हुई दिख रही है। ऐसे काफी सारे मौके भी आए हैं जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं।

2. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत सभी एनबीएफसीज के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक प्रमुख अधिकारी नियुक्त करने और 10 लाख रुपये या इससे अधिक के सभी संधि लेन-देन की जानकारी एफआईयू को देना अनिवार्य है।
3. पीएमएलए के सेक्शन 12 के तहत प्रत्येक रिपोर्टिंग एंटिटी के लिए सभी लेन-देन के रिकॉर्ड्स रखने और निर्देशों के मुताबिक, अपने ग्राहकों एवं लाभ पाने वालों की पहचान की पुष्टि एफआईयू से कराना जरूरी है।
4. एक्ट में इन एंटिटीज को लेन-देन के और क्लाइंट्स की पहचान के रिकॉर्ड्स पांच साल तक रखने को कहा गया है।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली को परखने की जरूरत: IBA

इंडियन बैंक एसोसिएशन की चेयरपर्सन ऊषा अनंथसुब्रमणियन ने कहा कि बैंकों के लिए तत्काल जरूरत यह है कि वो जोखिम प्रबंधन प्रणाली को फिर से परखने की जरूरत है ताकि खामियों को दूर किया जा सके।

अनंथसुब्रमणियन जो कि इलाहाबाद बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भी हैं ने बताया कि उसके बैंक में भी सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) से जुड़ा हुआ नहीं है और दोनों प्रणालियों को जोड़ने की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है।

क्या है

1. देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक में 1.77 बिलियन डॉलर के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें ज्वैलर नीरव मोदी पर आरोप है कि उन्होंने पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा से एलओयू (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। घोटाले की शुरुआत साल 2011 में पंजाब नेशनल बैंक से शुरू हुई थी।
2. अनंथसुब्रमणियन ने पत्रकारों को बताया कि बैंक सिस्टम की समीक्षा कर रहे हैं ताकि अगर कोई खामी हो तो उसे सुधारा जा सके ताकि सिस्टम मजबूत बने।
3. स्विफ्ट को सीबीएस से जोड़ने का काम बैंकों की ओर से तेजी से किया जा रहा है। इलाहाबाद बैंक जाने से पहले अनंथसुब्रमणियन पीएनबी की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रह चुकी हैं।
4. उन्होंने अगस्त 2015 से मई 2017 तक कार्यभार संभाला था। वो जुलाई 2011 से नवंबर 2013 तक पीएनबी की एजीक्यूटिव डायरेक्टर भी थीं।

कारोबारी सुगमता बढ़ाने को चार संस्थान मिलेंगे

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दुनिया के 'कारोबारी सुगमता सूचकांक' में भारत की स्थिति को मजबूती देने के लिए चार संस्थाओं को नियुक्त किया है। इनमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च (एनआइसीएमएआर), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (आइआइएफटी), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आइसीएसआइ) शामिल हैं। ये संस्थाएं सभी साझेदारों से मिलकर कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत की स्थिति को मजबूती देने के उपाय सुझाएंगी। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक कारोबारी सुगमता सूचकांक पर भारत की स्थिति काफी सुधरी है और वह 30 पायदान उछलकर 100वें स्थान पर पहुंच गया है। सरकार अगले कुछ वर्षों में भारत को इस सूचकांक पर शीर्ष 50 देशों की सूची में देखना चाहती है।

क्या है

1. कारोबारी सुगमता सूचकांक प्रक्रिया के तहत किसी भी देश में कारोबार शुरू करने, निर्माण संबंधी मंजूरी लेने, बिजली मिलाने, संपत्ति का पंजीकरण कराने, कर्ज हासिल करने, छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने, करों का भुगतान करने, सीमा-पार कारोबार करने, करार का पालन करने और दिवालियापन की घटनाओं का समाधान करने जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं।
2. इनमें सहूलियतों पर प्रदर्शन के हिसाब से ही किसी देश को कारोबारी सुगमता सूचकांक पर उचित स्थान दिया जाता है।

3. योजना के मुताबिक आइसीएआइ को कर भुगतान के मामलों पर सलाह का जिम्मा दिया गया है, जबकि आइसीएसआइ नया बिजनेस शुरू करने और आइआइएफटी सीमा-पार कारोबार की सुगमता पर सरकार को सलाह देगी। एनआइसीएमएआर का काम निर्माण संबंधी मंजूरी पर रायशुमारी करना और सरकार को सुझाव देना होगा।
4. इस वर्ष बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए सरकार ने राज्यों के लिए 372 कार्य-बिंदुओं की पहचान की है, जिन पर मिशन मोड में काम किया जाएगा। कारोबारी सुगमता सूचकांक में ऊंचे पायदान पर होने से देश में बढ़ते कारोबारी माहौल के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और देश में निवेश आवक में इजाफा होगा।

SBI की इन शाखाओं पर मिलेंगे इलेक्टोरल बांड

चुनावी चंदे की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शुरू हुई चुनावी बांड स्कीम के बांडों की पहली श्रृंखला की बिक्री पहली मार्च से शुरू होगी। ये बांड 10 मार्च तक ही भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीदे जा सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने 22 फरवरी 2018 को जारी एक बयान में इस बात का ऐलान किया कि इन बांडों को केवल भारतीय नागरिक अथवा भारत में स्थापित की गई कंपनी द्वारा ही खरीदे जा सकेंगे। सरकार ने इलेक्टोरल बांड स्कीम को इसी साल 2 जनवरी को अधिसूचित किया था। शुरुआत में भारतीय स्टेट बैंक की देश भर में चार शाखाओं को इसकी बिक्री की अनुमति प्रदान की गई है। ये शाखाएं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं।

क्या है

1. साल 2018 की पहली तिमाही के लिए स्कीम की शुरुआत पहली मार्च को हो रही है। पहले इसे जनवरी में ही शुरू किया जाना था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 के आम बजट में चुनावी बांड की स्कीम लाने की घोषणा की थी।
2. इसके मुताबिक केवल वही पंजीकृत राजनीतिक दल इन बांडों के जरिए चंदा ले पाएंगे जिन्हें पिछले लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में एक फीसद से अधिक मत प्राप्त होंगे।
3. वित्त मंत्रालय के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां इन बांडों को केवल अधिकृत बैंक खातों के जरिए ही भुना पाएंगी। लोग राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इन्हें व्यक्तिगत अथवा समूह के तौर पर भी खरीद सकेंगे।
4. बांड जारी होने से अगले पंद्रह दिनों के लिए वैध होंगे। यानी राजनीतिक दलों के लिए इन्हें इसी अवधि के भीतर भुनाना आवश्यक होगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस अवधि के बाद बांड जमा कराने वाले दलों को इसका भुगतान नहीं होगा। राजनीतिक दल जिस दिन बांड अपने बैंक खाते में जमा करेंगे, चंदे की राशि उसी दिन उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
5. सरकार का मानना है कि चुनावी बांड से राजनीतिक चंदे की प्रक्रिया काफी हद तक पारदर्शी हो जाएगी। चुनावी बांड के सिक्योरिटी फीचर बिल्कुल करेंसी नोट की तरह होंगे। इसकी छपाई शुरू हो गई है।
6. राजग सरकार ने 2001 में एक अहम सुधार करते हुए चेक से राजनीतिक चंदा देने वालों को टैक्स में छूट देने की पहल की थी। कुछ राजनीतिक दलों को चेक से चंदा मिलना शुरू हुआ लेकिन आज भी अज्ञात स्रोत से चंदा अधिक आ रहा है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए ही सरकार ने चुनावी बांड की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है।

विज्ञान एवं तकनीकी

लिब्स-रमन हाईब्रीड टेक्नोलॉजी

मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तलाश रहे वैज्ञानिकों के लिए लेजर इनडक्ट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी लिब्स और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को मिलाकर बनी हाईब्रीड टेक्नोलॉजी मददगार साबित होगी। नासा के मंगल मिशन-2020 का यह महत्वपूर्ण अंग होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में लेजर इनडक्ट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी (लिब्स) पर चल रही द्वितीय मेघनाद साहा स्मृति अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन यह जानकारी अमेरिका की हवाई यूनिवर्सिटी से आए वैज्ञानिक प्रो. शिव कुमार शर्मा ने दी। वह इस पर काम कर रहे हैं। इविवि भौतिक विज्ञान विभाग में

पांच साल पहले इस हाईब्रीड तकनीक पर रिसर्च शुरू हो चुकी है। इस पर इस विभाग के डॉ. के.एन. उत्तम काम कर रहे हैं। डॉ. उत्तम ने बताया कि लिब्स नई और रमन पुरानी विधि है। दोनों के मिश्रण से तैयार हाईब्रीड तकनीक से ग्रह के सतह का बारीकी से अध्ययन कर जीवन की मौजूदगी के कई सारे प्रमाण आसानी से खोजे जा सकते हैं।

क्या है

1. हैदराबाद विश्वविद्यालय स्थित डीआरडीओ के सेंटर में कार्यरत वैज्ञानिक प्रो. सोमा बेनुगोपालराव लिब्स की मदद से विस्फोटकों की दूर से पहचान करने पर रिसर्च कर रहे हैं। बताया कि उन्होंने लैब में दस मीटर की दूरी पर रखे तीन ग्राम तक विस्फोटक को पहचानने में कामयाबी पाई है।
2. अभी इस पर काम चल रहा है। तीन से चार वर्ष बाद ऐसा प्रोटो टाइप तैयार हो सकेगा, जिसकी मदद से कहीं रखे या जमीन के अंदर छिपाए गए विस्फोटक की दूर से ही आसानी से पहचान की जा सकेगी।
3. इलाहाबाद विश्व विद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में स्थापित लिब्स लैब में हल्दी, सब्जी तथा खाने व लगाने वाले रंगों में मिलावट की जांच की जा चुकी है।
4. विशेषज्ञों ने कानपुर के आसपास के खेतों में उगने वाली सब्जियों का नमूना लेकर लैब में जांच की। सब्जियों में क्रोमियम, एंटीमनी और लेड जैसे हानिकारक तत्व मिले। पता चला कि ऐसी स्थिति टेनरियों से निकलने वाले पानी से सिंचाई की वजह से है।
5. ठेले पर मिलने वाले बर्फ के गोले की जांच में पता चला कि इसमें खाने वाले रंग के साथ ही सिंदूर बनाने और कपड़े रंगने में काम आने वाले रंगों का इस्तेमाल हो रहा है। इस रंग में मरकरी सल्फेट, कॉपर सल्फेट, लेड सल्फेट जैसे हानिकारक तत्व पाए जाते हैं।
6. हल्दी की गांठ की जांच में भी हानिकारक तत्वों के मिलने की पुष्टि हुई। पता चला कि यह स्थिति हल्दी को चटख पीला बनाने के लिए रंगने की वजह से होती है।

ध्रुवीय ज्योति की उत्पत्ति की वजह पता चली

पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर ऑरोरा यानी ध्रुवीय ज्योति की उत्पत्ति की परिघटना के पीछे छुपे वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझा लिया गया है। अब तक इस घटना के भौतिक कारणों का पता नहीं लगाया जा सका था, लेकिन जापान के यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन के परिणामस्वरूप इस परिघटना के पीछे छुपे भौतिक कारणों का पता लगाने में सफलता हासिल कर लिया है।

उत्पत्ति के पीछे भौतिक कारण

1. वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया है कि ऑरोरा की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन और प्लाज्मा तरंगों के परस्पर मिलने से होती है।
2. इलेक्ट्रॉन और प्लाज्मा तरंगों के परस्पर मिलने की यह प्रक्रिया पृथ्वी के बाहरी वातावरण के मैग्नेटोस्फेयर में होती है।
3. मैग्नेटोस्फेयर के इलेक्ट्रिक कण ग्रह के चुम्बकीय क्षेत्र से नियंत्रित होते हैं।
4. भौतिक कारण का पता लगाने वाले

फलैशबैक

1. सामान्यतौर पर रात के समय या सुबह होने से ठीक पहले पृथ्वी के दोनों ध्रुवों अर्थात दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के आसमान में हरे, लाल और नीले रंग के मिश्रण से उत्पन्न इस प्रकाश को ऑरोरा कहते हैं।
2. विभिन्न प्रकार के ऑरोरा में से कुछ सूर्योदय से पहले भी दिखाई देते हैं।
3. इस अद्भुत प्राकृतिक नजारे को विश्व के अजूबों में गिना जाता है।
4. ध्रुवों के पास ही इनकी स्थानीय उत्पत्ति की वजह से इन्हें ध्रुवीय ज्योति, उत्तर ध्रुवीय ज्योति या दक्षिण ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है।
5. उत्तरी अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति को सुमेरु ज्योति (Aurora Borealis) या उत्तर ध्रुवीय ज्योति के नाम से जाना जाता है।
6. वहीं, दक्षिणी अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति को कुमेरु ज्योति (Aurora Australis) या दक्षिण ध्रुवीय ज्योति के नाम से जाना जाता है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे ही मैग्नेटोस्फेयर में परिवर्तन होता है वैसे ही सौर वायु ऊर्जा निकलती है। इस सौर वायु ऊर्जा की वजह से ऑरोरल सबस्टॉर्म उत्पन्न होता है।

5. मैग्नेटोस्फेयर में आए परिवर्तन से खास किस्म की प्लाज्मा तरंगें निकलती हैं, जिन्हें कोरस तरंग भी कहा जाता है।
6. इन तरंगों से पृथ्वी के बाहरी वातावरण में इलेक्ट्रॉन की बारिश होती है जिस वजह से ध्रुवों पर कई रंगों के मिश्रण से रंगीन प्रकाश की उत्पत्ति होती है।

चंद्रयान-2 का रोवर दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा

अंतरिक्ष विभाग के प्रभारी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 16 फरवरी 2018 को कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का चंद्रयान-2 अप्रैल में प्रक्षेपित किया जाएगा और वह पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर उतारने की कोशिश करेगा। इसरो के नवनियुक्त अध्यक्ष के. सिवन ने बताया कि भारत के दूसरे चंद्र मिशन की लागत 800 करोड़ रुपये है। इस चंद्र मिशन के रोवर को दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को अभी ज्यादा जाना-समझा नहीं गया है।

क्या है

1. भारत अप्रैल में चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण करने जा रहा है। चंद्रयान-1 मिशन के तहत इसरो ने चांद पर पानी देखा था। चंद्रयान-2 इस परियोजना का विस्तार है और यह चांद पर किसी व्यक्ति को उतारने के समान है।
2. चंद्रयान-2 इसरो का पहला अंतर-ग्रहीय मिशन है जो किसी खगोलीय पिंड पर एक रोवर उतारेगा।
3. मिशन के प्रक्षेपण पर सिवन ने कहा, “लक्षित तारीख अप्रैल है। यदि हम अप्रैल में प्रक्षेपण नहीं कर पाते हैं तो नवंबर में करेंगे।”
4. दक्षिणी ध्रुव के पास रोवर उतारने का कारण पूछे जाने इसरो ने कहा कि यह “काफी दुर्गम क्षेत्र है जहां चट्टानें लाखों साल पहले बनी थीं।”
5. एक कारण यह भी है कि अन्य मिशनों द्वारा इस क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया गया है। इसरो ने कहा, “अतीत में ज्यादातर चंद्र मिशनों ने चांद की विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र का अध्ययन किया है।”

मंगल पर नासा की बड़ी कामयाबी

नासा के मंगल मिशन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। काफी लंबे वक्त से मंगल पर रिसर्च कर रहे उनके मार्स रोवर ऑपरट्यूनिटी को इस हफ्ते वहां ‘चट्टान पर धारियों’का पता लगा है। इससे लाल ग्रह पर पानी, हवा व अन्य प्रक्रियाओं के होने के संकेत मिलते हैं। इस रोवर को मंगल पर 5,000 दिन पूरे हो चुके हैं।

क्या है

1. नासा ने एक बयान में कहा कि रोवर से मिले हालिया चित्रों में जमीन की बनावट में कुछ पर्वत की ढलानों पर बहुत ही विशेष तरह की पत्थर पर धुंधली धारियां दिखी हैं, जमीन पर यह नम मिट्टी के बार-बार जमने व टूटने के चक्र के दोहराए जाने के परिणाम स्वरूप बनती हैं।
2. नासा को यह भी लगता है कि ऐसा हवा, ढलान से किसी चीज के आने-जाने या दूसरी प्रक्रियाओं की वजह से भी हो सकता है। सेंट लुईस में वाशिंगटन विश्वविद्यालय के ऑपरट्यूनिटी के उप मुख्य अनुसंधानकर्ता रे अरविडसन ने कहा, ‘यह रहस्यमय है।’
3. यह रोमांचक है। मेरा मानना है कि जो भी हमें जानकारी प्राप्त होगी, उससे हमें इसे समझने में मदद मिलेगी। ‘ऑपरट्यूनिटी को मंगल पर जनवरी 2004 में उतारा गया था। यह वर्तमान में एक चैनल ‘प्रिजर्वेश वैली’ की जांच कर रहा है।

बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर हो सकता है जीवन

ब्राजील स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो के शोधकर्ताओं ने सैद्धांतिक अध्ययन बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन होने की संभावना जताई है। इसके लिए उन्होंने धरती पर मौजूद समान वातावरण से आंकड़े एकत्र कर उनका अध्ययन किया। विशेषज्ञों ने दावा किया है कि बृहस्पति के सबसे ठंडे चंद्रमा यूरोपा की 10 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे तरल रूप में मौजूद पानी में जीवन की मौजूदगी हो सकती है। ब्राजील के नेशनल सिंक्रोट्रॉन लाइट लैबोरेटरी के प्रमुख शोधकर्ता डगलस गैलाटे ने कहा कि यूरोपा पर मौजूद ऊर्जा के जैविक रूप से इस्तेमाल योग्य स्रोत के संभावित प्रभावों के बारे में अध्ययन किया गया।

इसके लिए जोहांसबर्ग स्थित पोनेंग में सोने की खदान में 2.8 किलोमीटर की गहराई में शोधकर्ताओं को धरती पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सुराग मिले। इसके साथ ही यूरोपा से मेल खाता वातावरण भी यहां मिला।

क्या है शोध

1. 10 किमी मोटी बर्फ की परत के नीचे पानी में जीवन की मौजूदगी के संकेत
2. 2.8 किलोमीटर की गहराई में सोने की खदान में जीवन की उत्पत्ति के सुराग मिले
3. शोध के दौरान देखा गया कि बैक्टीरियम कैडिडेट्स डेसलफोफुडिस ऑडेस्विक्टर खदान में सूरज की रोशनी के बिना जिंदा था।
4. ऐसा वॉटर रेडियोलिसिस यानी पानी के अणुओं को आयनित विकिरण के माध्यम से अलग किया गया। इस खदान में दरारों से पानी लीक कर रहा था, जो रेडियोएक्टिव यूरेनियम से लैस था।
5. यूरेनियम पानी के अणुओं को तोड़कर फ्री रैडिकल्स बनाता है। फ्री रैडिकल्स सल्फेट के उत्पादन से आसपास की चट्टानों पर हमला करता है। बैक्टीरिया सल्फेट का संश्लेषण कर ऊर्जा का संग्रहण करता है। पारिस्थिकी तंत्र को इस तरह परमाणु ऊर्जा के जरिये पहली बार जीवित देखा गया था।

सौर मंडल के बाहर मिले 100 नए ग्रह

वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बाहर 100 नए ग्रहों की खोज की है। ये हमारे सौर मंडल के बाहर अन्य तारों का चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं। खगोलविदों ने नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप के 2 से जुटाए डेटा का अध्ययन कर इन ग्रहों की खोज की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों की टीम हमारे सौर मंडल के बाहर ऐसे पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज कर रही है। इस दौरान वैज्ञानिकों को इन ग्रहों की जानकारी मिली। डेनमार्क टैक्निकल यूनिवर्सिटी के नेशनल स्पेस इंस्टिट्यूट की रिसर्च के आधार पर इन ग्रहों की खोज हुई है। वैज्ञानिकों ने 275 कैडिडेट्स प्लैनेट में से 95 के एक्सोप्लैनेट होने की पुष्टि की है। करीब एक दशक पहले नए ग्रहों की खोज के लिए के2 मिशन के लिए लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट की मदद से यह खोज हुई है।

क्या है

1. इस रिसर्च के लीड ऑथर और पीएचडी स्टूडेंट एंड्रयू मायो ने बताया, 'हमने मिलने वाले करीब 275 कैडिडेट्स का विश्लेषण किया, जिसमें से 149 असली एक्सोप्लैनेट साबित हुए। इनमें से 95 नई खोज हैं।'
2. इस मिशन के तहत केपलर स्पेस टेलीस्कोप के2 द्वारा अब तक 300 ग्रहों की खोज की जा चुकी है। सबसे पहला एक्सोप्लैनेट 1995 में खोजा गया था। उसके बाद अब तक करीब 3600 बाहरी ग्रह खोजे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इससे मिले डेटा के बाद और ग्रहों की खोज भी संभव है।
3. मायो ने बताया कि एक्सोप्लैनेट जब अपने मूल तारे का चक्कर लगाते हुए उसके सामने आ जाते हैं तो एक छाया का निर्माण होता है और प्रकाश की किरण झुक जाती है।
4. इससे ग्रहों की पहचान की जाती है। बताया जा रहा है कि खोजे गए ग्रहों में कुछ पृथ्वी के बराबर हैं तो कुछ बृहस्पति या उससे भी बड़े हैं।

संक्रामक रोगों से बचाव में मददगार है गिद्ध

भारत जैवविविधताओं से परिपूर्ण देश है, जहां पूरी दुनिया का आठ फीसद जैवविविधता वाला भाग मौजूद है। सभी जीव एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला द्वारा संबंधित हैं। इनमें से किसी एक का विलुप्त हो जाना, पूरी पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है। गिद्ध को आहार श्रृंखला के सर्वोच्च स्थान पर आंका गया है। 90 के दशक में लगभग 40 लाख गिद्ध भारत में थे, जो 12 लाख टन मांस को वार्षिक दर से समाप्त किया करते थे। आज इनकी 99 फीसद आबादी खत्म हो चुकी है। ऐसे में अच्छी खबर छत्तीसगढ़ से आई है, जहां अचानक टाइगर रिजर्व के औरापानी बफर जोन में गिद्ध बड़ी संख्या में उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। यहां गिद्धों की एकाएक बढ़ी संख्या को लेकर गंभीर वन विभाग अब इन्हें संरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की कवायद कर रहा है। डीएफओ कृष्ण जाधव ने बताया कि मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद प्रजनन केंद्र स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए भोपाल स्थित नेशनल पार्क और हैदराबाद जू के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी।

क्या है

- वर्तमान में यहां करीब 50 गिद्धों को उड़ान भरते देखा गया है। सुरक्षित स्थान होने के कारण कुनबा बढ़ रहा है। यह यहां किसी ऊंचे पेड़ या पहाड़ पर अपना भद्दा सा घोंसला बनाते हैं। मादा एक या दो सफेद अंडे देती है।
- नेचर क्लब के संयोजक पर्यावरणविद मंसूर खान बताते हैं कि भौरमगढ़ पहाड़ 500 फीट की ऊंचाई पर है। जिस पर ऊंचे पेड़ों सहित एक गुफा भी है। यहां मानव दखलअंदाजी नहीं है।
- इस वजह से गिद्धों ने यह रहवास नहीं बदला। यहां गिद्ध 50 साल से रह रहे हैं। 1975-76 से इन्हें लगातार देखा जा रहा है। अब इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है।
- राजाजी टाइगर रिजर्व में भी दिख रहे गिद्ध: हिमालय की तलहटी में स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व में पिछले दिनों अखिल भारतीय बाघ गणना के दौरान सफेद रंग के दो दर्जन गिद्ध देखे गए। अधिकारियों के मुताबिक इनकी संख्या यहां बढ़ रही है।

ऐसे किया जा रहा संरक्षण

- भारत सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक्ससीटू संरक्षण कार्यक्रम चला रखा है, जिसका उद्देश्य साल 2030 तक भारत में गिद्धों की पर्याप्त संख्या हासिल करना है।
- संरक्षित प्रजनन और सुरक्षित प्राकृतिक आवास मुहैया कराना इसमें शामिल हैं। वर्तमान में ऐसे प्राकृतिक क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है जहां गिद्धों की प्राकृतिक आबादी है और नए गिद्ध जन्म ले रहे हैं।
- ऐसे क्षेत्रों के आस-पास डाइक्लोफेनेक-मुक्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करके उन्हें गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना है।
- तीन प्रजनन केंद्र पिंजौर (हरियाणा), राजभल्खावा (पश्चिम बंगाल) और रानी (असम) में चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा पांच चिड़ियाघरों जो कि जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, गुवाहाटी और भुवनेश्वर में स्थित हैं, को भी गिद्ध प्रजनन के लिए मान्यता प्रदान की गई है।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर गिद्धों को स्वच्छ भारत अभियान का सबसे बड़ा स्वयंसेवक बताते हुए इनके संरक्षण के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की बात कह चुके हैं।

क्यों हुए विलुप्त

- खेतों में फर्टिलाइजर के अधिक प्रयोग व पालतू जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए दी जाने वाली डाइक्लोफेनेक दवा ने गिद्धों को विलुप्ति की कगार पर पहुंचा दिया। मृत मवेशी के शरीर से यह रसायन गिद्ध तक पहुंचकर उसकी किडनी पर गंभीर असर करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।
- गिद्ध मृतोपजीवी पक्षी है, जिसका पाचनतंत्र मजबूत होता है, जिससे यह रोगाणुओं से परिपूर्ण सड़ा गला मांस भी पचा जाते हैं और संक्रामक रोगों का विस्तार रोकते हैं। इनके न होने से जंगली पशु-पक्षियों में विभिन्न संक्रामक रोग फैल रहे हैं।

चंद्रमा पर बहुत दूर तक फैला है पानी

चंद्रमा में गए पूर्व के मिशनों के आंकड़ों में इस बात के संकेत मिले हैं कि चंद्रमा पर पानी किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। यह बड़े पैमाने पर दूर तक फैला हुआ है। विशेषज्ञ आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इस विश्लेषण से शोधकर्ताओं को चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के बारे में गहनता से जानने में मदद मिलेगी। क्या है

1. इसके साथ ही इसे संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करने के संबंध में भी शोध किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चंद्रमा पर पर्याप्त मात्रा में पानी है और इस तक पहुंचना आसान है तो भविष्य में इसका इस्तेमाल इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
2. इसके अलावा हाईड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल कर इसे रॉकेट के ईंधन के रूप भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
3. कोलोराडो के बोल्डर स्थित स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ शोध विज्ञानी जोशुआ बैंडफील्ड ने कहा कि चंद्रमा पर पानी किसी विशेष समय या स्थान विशेष पर नहीं है।
4. यह हर समय और हर जगह है। ताजा आंकलन पूर्व के अध्ययन से अलग है, जिनमें कहा गया था कि पानी का भंडार चंद्रमा के ध्रुवों पर मौजूद है।

समुद्री घोंघे से बनाई कैंसर की दवा

घातक बीमारी कैंसर पर शोध कर रहे बंगाल के वैज्ञानिकों के एक दल ने इस बीमारी की दवा ढूंढ निकालने का दावा किया है। उनका कहना है कि समुद्र में पाए जाने वाले घोंघा की खास प्रजाति के शरीर में मिलने वाले तरल पदार्थ के इस्तेमाल से एक ऐसी दवा की खोज की है, जिससे कैंसर के रोग का इलाज संभव है। दवा के आविष्कारक वैज्ञानिक डॉ. शुभाशीष राय के अनुसार फिलहाल इस दवा का परीक्षण छोटे जीव व प्राणियों पर किया गया है, जो सफल रहा है। जल्द ही मानव पर भी इस दवा का परीक्षण किया जाएगा। भारत सरकार ने शोध कार्य में जुटे वैज्ञानिकों के दल डॉ. शुभाशीष राय, उत्तम दत्त, पार्थसारथी दासगुप्ता व देवकी घोष समेत अन्य वैज्ञानिकों को इसकी स्वीकृति दे दी है। वैज्ञानिकों ने दवा का पेटेंट भी करा लिया है।

क्या है

1. पश्चिम बंगाल प्राणी व मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के उपाचार्य डॉ. पुर्णेदु विश्वास ने बताया कि ट्यूमर सेल से एक प्रकार का रसायन का रिसाव होता है, जो कैंसर के सेल्स को बढ़ाने में सहायक भूमिका निभाता है।
2. उक्त घोंघे के शरीर में पाये जाने वाले तरल पदार्थ के मिश्रण से बनी दवा उक्त हानिकारक रसायन को बनने से रोकने की क्षमता रखती है। उन्होंने भविष्य में इस दवा का मानव पर सफल परीक्षण होने की उम्मीद भी जताई है।
3. शोध समूह के वैज्ञानिक देवकी घोष के अनुसार साल 2005 में चित्तरंजन कैंसर रिसर्च सेंटर के सहयोग से डॉ. सुभाशीष राय के नेतृत्व में शोधकार्य शुरू हुआ।
4. दस साल तक लगातार शोध के बाद हमें इस उद्देश्य में सफलता मिली है। वैज्ञानिकों के अनुसार सुंदरवन के समुद्री इलाके में पाए जाने वाले घोंघे पर शोध कार्य शुरू किया गया। इस घोंघे का नाम टेलीस्कॉपियम है। टेलीस्कॉप जैसा दिखने के कारण इसे यह नाम दिया गया है।
5. उक्त विश्वविद्यालय के रेडियोलॉजी के शिक्षक डॉ. देवकी घोष ने बताया कि टेलीस्कॉपियम प्रजाति के घोंघे से एक प्रकार का तरल पदार्थ निकलता है, जिसके इस्तेमाल से कैंसर के इलाज की दवा बनाई गई है। फिलहाल इस दवा का परीक्षण चूहे, बिल्ली और कुत्तों पर किया गया है। इन जीवों पर किए गए परीक्षण सफल रहे हैं। डॉ. सुभाशीष राय का कहना है कि हमें उम्मीद है कि मानव पर इस दवा का परीक्षण भी पूर्ण रूप से सफल होगा।
6. कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं, लेकिन किसी-किसी मामले में दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण मरीज अन्य बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। खोजी गई दवा में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं

रहेगी। उन्होंने बताया कि उनकी दवा केवल कैंसर के ट्यूमर पर ही काम करेगी। यही कारण है कि इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा।

विविध

दुर्लभ ब्लड ग्रुप का 65वां व्यक्ति

सिम्स के आर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती मरीज दुर्लभ बाम्बे ब्लड ग्रुप का मिला है। इस ग्रुप के रक्त वाले अब तक 64 लोग ही देशभर में मिले हैं और अब वह 65 वां व्यक्ति बना है। लिहाजा सिम्स प्रबंधन मरीज की पूरी देखभाल में जुट गया है। अनुपात के हिसाब से एक करोड़ के पीछे कोई एक व्यक्ति इस ब्लड ग्रुप का होता है। सिम्स के आर्थोपेडिक वार्ड में 8 फरवरी को पेंडा के ग्राम भरारी के 19 साल के दुर्गेश भरिया पिता मैकूलाल को भर्ती किया गया था। उसके दाहिने पैर की हड्डी में फ्रैक्चर है। उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। 14 फरवरी को जब उसके ब्लड ग्रुप की जांच की गई, तो पहले ओ पॉजीटिव पाया गया।

क्या है

- देश में इस ग्रुप के सिर्फ 64 लोगों को खोजा जा सका है। दुर्गेश अब 65वां व्यक्ति हो गया है। अब सिम्स प्रबंधन दुर्गेश की विशेष देखभाल रखते हुए उसका उपचार कर रहा है।
- कुछ ही दिन में उसका ऑपरेशन किया जाएगा। सिम्स ब्लड बैंक के प्रभारी डॉ.बी.पी. सिंह ने बताया कि यह बड़ी बात है कि बिलासपुर जिले में इस दुर्लभ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति मिला है। बाम्बे ब्लड ग्रुप खोजने में सिम्स ने एक बड़ा योगदान दिया है।
- सिम्स के प्रभारी डीन डॉ.रमणेश मूर्ति ने जानकारी दी कि इससे पहले छत्तीसगढ़ में इस ग्रुप के 6 लोग मिल चुके हैं। दुर्गेश सातवां व्यक्ति बना है। वहीं बिलासपुर संभाग का तीसरा व्यक्ति बना है। संभाग के कोरबा, पेंडा के अलावा शहर के जरहाभाठा में इसके एक-एक दानदाता रहते हैं।

क्या है बाम्बे दुर्लभ ब्लड ग्रुप

- सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि सबसे दुर्लभ रक्त समूह ओ निगेटिव होता है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। यह रक्त चुनिंदा लोगों में पाया जाता है।
- वहीं ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप से भी दुर्लभ ब्लड ग्रुप एक ऐसा है जो लगभग एक करोड़ में किसी एक का पाया जाता है। उसका नाम बाम्बे ब्लड ग्रुप है।
- इस रक्त समूह कोरेयर ऑफ द रेयरेस्ट रक्त समूह कहते हैं। बाम्बे ब्लड ग्रुप की खोज वर्ष 1952 में डॉ.वायएम भेंडे ने बाम्बे में की थी।

देश के 17 राज्यों में गिरा लिंगानुपात

देश के 21 बड़े राज्यों में से 17 में जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग के हालिया आकड़ों के मुताबिक, गुजरात में हालत सर्वाधिक चिंताजनक है। इस राज्य में यह गिरावट सबसे अधिक 53 अंक नीचे पहुंच गई है। इसके बाद क्रमशः हरियाणा में 35 अंकों, राजस्थान में 32 अंकों, उत्तराखंड में 27 अंकों, महाराष्ट्र में 18 अंकों, हिमाचल प्रदेश में 14 अंकों, छत्तीसगढ़ में 12 अंकों और कर्नाटक में 11 अंकों की गिरावट हुई है।

क्या है

- एसआरबी के मामले में पंजाब, उप्र व बिहार में स्थिति सुधरी है। अपनी 'हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया' रिपोर्ट में नीति आयोग ने भ्रूण का लिंग परीक्षण कराकर होने वाले गर्भपात के सिलसिले को रोकने की जरूरत पर बल दिया है। उसने राज्यों से लिंग चयन गर्भपात की प्रवृत्ति पर कड़ाई से रोक लगाने का आग्रह किया है।

2. रिपोर्ट के अनुसार, जन्म के समय लिंगानुपात के मामले में जिन 17 राज्यों में दस या उससे अधिक अंकों की गिरावट दर्ज हुई है, उनमें गुजरात की हालत सबसे अधिक खराब है। इस राज्य में पहले एक हजार लड़कों पर 907 लड़कियां पैदा होती थीं, लेकिन अब यह आंकड़ा गिरकर 854 लड़कियों का रह गया है।
3. इस प्रकार यहां 2012-14 (आधार वर्ष) से 2013-15 (संदर्भ वर्ष) के बीच एसआरबी में 53 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट का क्रम जारी है।
4. इस राज्य में 35 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन पंजाब की हालत सुधरी है, यहां एसआरबी में 19 अंकों की वृद्धि देखने को मिली है। इसी प्रकार उप्र और बिहार में भी जन्म के समय लिंगानुपात की स्थिति सुधरी है।
5. उत्तर प्रदेश के एसआरबी में दस अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरह बिहार में भी 9 अंकों की वृद्धि देखने को मिली है। रिपोर्ट में एसआरबी के लिहाज से दो पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में हालत को चिंताजनक बताया गया है।
6. उत्तराखंड के एसआरबी में 27 अंक और हिमाचल प्रदेश में 14 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान की एसआरबी भी 32 अंक गिरी है।
7. रिपोर्ट के अनुसार, 'यह जरूरी हो गया है कि राज्य प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट (गर्भाधान पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम) 1994 को सखी से लागू करें और लड़कियों के महत्व के बारे में जागरूकता के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

क्या है लिंगानुपात

1. लिंगानुपात या लिंग का अनुपात किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं महिला की संख्या के अनुपात को कहते हैं।
2. प्रायः किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति एक हजार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या को इसका मानक माना जाता है।
3. जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। इससे यह पता चलता है कि कन्या भ्रूण हत्या यानी लिंग चयन गर्भपात कराने के चलन में कितनी कमी आई है।

नामांकन के समय नेताओं पर SC का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार के साथ उसके आश्रित भी चुनावी शपथपत्र में संपत्ति का खुलासा करेंगे। यानी अब उम्मीदवार के बच्चों की संपत्ति भी वोटर को पता चल जायेगी। इसके अलावा नामांकन के समय उम्मीदवार को अपने और परिजनों के आय का स्रोत भी बताना होगा।

क्या है

1. जस्टिस जे चेलामेस्वर की पीठ ने यह आदेश एक फैसले में 16 फरवरी 2018 को दिया। अब तक उम्मीदवार और उसकी पत्नी या पति ही चुनावी शपथ पत्र में अपनी संपत्ति की घोषणा करते थे।
2. शीर्ष अदालत के इस आदेश से अब नेताओं के भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। उम्मीदवार बच्चों के नाम संपत्ति रखकर पैसा बनाने में लगे रहते थे।
3. कोर्ट का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा लेकिन उत्तर-पूर्व राज्यों के चुनावों में इसका असर नहीं होगा क्योंकि वहां नामांकन भरे जा चुके हैं।
4. कोर्ट ने यह आदेश उत्तर प्रदेश के एनजीओ लोक प्रहरी की याचिका पर दिया है। याचिका पूर्व आईएस एसएन शुक्ला ने दाखिल की थी। चुनाव आयोग ने इस याचिका का समर्थन किया था।

अरुणाचल में भारत-चीन सीमा पर बीआरओ ने बनाई सड़क

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सड़क के साथ ही एक और पुल का निर्माण किया है। अरुणाचल का यह जिला भारत-चीन सीमा पर स्थित है। यह सड़क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की

अरुणाचल यात्रा का विरोध करने वाले चीन के लिए जवाब है। बीआरओ ने अपनी अरुणाक परियोजना के तहत निर्माण कार्य किया है। राज्य के दुर्गम इलाकों को राजमार्ग से जोड़ने की पहल के तहत सड़क बनाई गई है। इस रणनीतिक सड़क से ऊपरी सुबनसिरी में तामा चुंग चुंग (टीसीसी) से बिदाक इलाके का संपर्क स्थापित हुआ है। परियोजना के मुख्य इंजीनियर बीआर त्रिपाठी ने बताया कि 30 जनवरी को यह सड़क लोगों के लिए खोली गई। उन्होंने कहा कि दुर्गम प्रदेश में आठ से नौ महीने बारिश होती है। बारिश की यह अवधि निर्माण के लिए चुनौती थी।

क्या है

1. इस परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धि उग्र प्रवाह वाली सुबनसिरी नदी पर 200 फीट विस्तार वाले बैली पुल का निर्माण था। 2017 में इस पुल के निर्माण के साथ ही परियोजना में तेजी आई।
2. तमा चुंग चुंग को ताकसिंग रोड से जोड़ने के लिए दादू सिको नदी पर भी एक बैली पुल का निर्माण किया गया है। इस पुल को भी हाल ही में चालू किया गया है। त्रिपाठी ने कहा कि मानसून के दौरान भी पुल से वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। वर्ष 2009 में शुरू हुई परियोजना का काम हाल ही में पूरा हुआ है।
3. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जेटली ने अरुणाचल के सेला दर्रे के भीतर एक सुरंग निर्माण का प्रस्ताव रखा था। इस सुरंग से अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तवांग की यात्रा में कम समय लगेगा। चीन से लगती सीमा पर पहुंच आसान करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाने का फैसला लिया है।

विंटर ओलंपिक 2018 में जगदीश रहे 103वें स्थान पर

भारत के जगदीश सिंह 16 फरवरी 2018 को प्योंगचांग शीतकालीन ओलंपिक खेल की 15 किमी फ्री क्रॉस कंट्री स्कीइंग रेस में खराब प्रदर्शन से 103वें स्थान पर रहे जिससे भारत का इन खेलों में सफर फिर एक बार निराशाजनक रहा। ओलंपिक में डेब्यू कर रहे 26 साल के जगदीश ने अल्पेंसिया क्रॉस कंट्री स्कीइंग सेंटर में फिनिश लाइन पार करने में 43:03 मिनट का समय लिया जिससे वह 119 कॉम्पिटिशन में 103वें स्थान पर रहे। जगदीश ने जो समय लिया वह कॉम्पिटिशन का स्वर्ण पदक जीतने वाले स्विट्जरलैंड के डैरियो कोलोग्ना से 9:16.4 मिनट ज्यादा था। स्विस् खिलाड़ी ने 33:43.9 मिनट के साथ लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। नॉर्वे के सिमेन क्रूगर ने 34:02.2 मिनट के साथ रजत जबकि रूसी ओलंपिक खिलाड़ी डेनिस स्पितसोव ने 34:06.9 मिनट का समय लेकर कांस्य पदक जीता।

क्या है

1. गुलमर्ग के हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल (एचएडब्ल्यूएस) में प्रशिक्षण लेने वाले भारतीय खिलाड़ी शुरूआती 1.5 किमी तक पहले स्थान पर चल रहे खिलाड़ी से 40 सेकेंड धीमे थे लेकिन रेस बढ़ने के साथ यह अंतर भी बढ़ता चला गया।
2. आधी रेस तक जगदीश सबसे आगे रहे खिलाड़ी से 4:28 मिनट धीमे हो गए और यह अंतर बढ़ता गया। हालांकि भारतीय खिलाड़ी रेस शुरू करने वाले 116वें स्थान से बाद अपना स्थान सुधारने में सफल रहा।
3. क्रॉस कंट्री स्कीइंग में खिलाड़ियों को कम से कम समय में बर्फ से ढके 15 किमी लंबा मैदान पार करना होता है। इस रास्ते में ऊंची, सामान्य एवं निचली ढलानें होती हैं।
4. दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में हो रहे ओलंपिक खेल में केवल दो खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले शिवा केशवन अपने छोटे एवं आखिरी शीतकालीन ओलंपिक खेलों की पुरुष ल्यूज एकल प्रतिस्पर्धा में 34वें स्थान पर रहे थे।
5. भारत अब तक शीतकालीन ओलंपिक खेल में कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका है क्योंकि इन खेलों पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। केशवन की छह ओलंपिक में भागीदारी ही देश के लिए एक तरह से उपलब्धि है।
6. भारत ने पहली बार 1964 में ऑस्ट्रिया के इन्सब्रुक में हुए शीतकालीन ओलंपिक खेल में हिस्सा लिया था जहां पोलिश मूल के अल्पाइन स्कीइंग खिलाड़ी जेरेमी बुजाकोस्की ने देश का प्रतिनिधित्व किया था।
7. उन्होंने 1968 में ग्रेनोबल (फ्रांस) ओलंपिक खेल में भी देश का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद कनाडा के कालगैरी में 1988 में हुए शीतकालीन ओलंपिक खेल में शैलजा कुमार, गुल देव और किशोर राय (तीनों अल्पाइन स्कीइंग खिलाड़ी) ने हिस्सा लिया था।

8. केशवन 1998 में जापान के नगानो में हुए ओलंपिक से लेकर इस बार प्योंगचांग शीतकालीन ओलंपिक खेल तक देश का प्रतिनिधित्व करते रहे।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीएनबी घोटाला मामला

पीएनबी घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 19 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दाखिल हुईं। एक में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है और दूसरे में जांच एजेंसी को केस दर्ज कर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के शीर्षस्थ प्रबंधन की भूमिका की जांच करने का आदेश दिये जाने की मांग की गई है।

क्या है

1. वकील शर्मा की याचिका में कहा गया कि घोटाला के सबूतों को नष्ट किये जाने की आशंका है इसलिए मामले की कोर्ट निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता वाली एसआईटी से जांच कराई जाए। दूसरी याचिका में विनीत ढांडा ने कहा है कि पीएनबी के शीर्षस्थ प्रबंधन की भूमिका की जांच की जाए और नीरव मोदी व अन्य अभियुक्तों के भारत प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू की जाए।
2. इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि कोर्ट वित्त मंत्रालय को निर्देश दे कि बड़ी रकम का कर्ज दिये जाने के बारे में दिशानिर्देश तय किये जाएं।
3. यह भी मांग है कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह एक कमेटी गठित करे जो कि देश में डूबे हुए कर्ज का पता लगाए।

देश का पहला 'ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन'

जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है, जिसे केवल महिलाएं ही संभालेंगी। इससे पहले मुम्बई के माटुंगा को 'ऑल वुमेन स्टेशन' बनाया गया था, लेकिन वह सब-अर्बन रेलवे स्टेशन है। गांधी नगर रेलवे स्टेशन को स्टेशन मास्टर से लेकर गेटमैन तक कुल 40 महिलाओं की टीम संभालेगी।

क्या है

1. उत्तर पश्चिम रेलवे ने अनोखा प्रयोग करते हुए रेलवे स्टेशन मास्टर, इंजीनियर, टिकट क्लर्क, मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक, फ्लैग इंडिकेटर, प्वाइंट्स मैन और गेटमैन तक के सभी पदों पर महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी है।
2. इस रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा में तैनात जीआरपी की टीम में भी महिलाएं ही शामिल होंगी। स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी एंजेलो स्टेला को सौंपी गई है। एंजेलो स्टेला के अनुसार गांधी नगर रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 25 ट्रेनों रुकती हैं, वहीं कई ट्रेन यहां से गुजरती भी हैं। करीब 7000 यात्री इस रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन आते-जाते हैं।
3. यहां स्टाफ को तैनात करने से पहले पूरी तरह से ट्रेड किया गया है। यहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इनकी जीआरपी थाने में निरंतर मॉनिटरिंग होगी।
4. रेलवे स्टेशन को वाई-फाई से भी जोड़ा गया है। स्टेशन पर महिला कर्मचारी तीन पारियों में काम करेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पी.पी. सिंह का कहना है कि इस रेलवे स्टेशन से एक तरह के अलग ही बदलाव की उम्मीद है। उन्होंने उम्मीद जताई कि महिला कर्मचारी काफी अच्छे ढंग से अपना काम करेंगी।

UNICEF की चिंताजनक रिपोर्ट

विश्व भर में नवजातों की मृत्युदर के बढ़ते आंकड़े बेहद चिंताजनक है। विश्व के एक चौथाई नवजातों की मौत केवल भारत में हो जाती है। भारत में हर साल जन्म के 28 दिन के भीतर 6 लाख नवजातों की मौत हो जाती है। भारत में नवजातों की मौत के ये आंकड़े विश्व में सबसे ज्यादा है। यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई नई रिपोर्ट से इस बात का पता चलता है जो काफी चिंताजनक है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 80 फीसदी इन मौतों का कोई गंभीर कारण नहीं है। दूसरी तरफ रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कम हुई है। भारत में 60,000

नवजात की मौत हर साल होती है जो वैश्विक आंकड़े का एक चौथाई है। यूनिसेफ की रिपोर्ट 'एवरी चाइल्ड अलाइव' में ये बातें कही गई हैं।

क्या है

1. यूनिसेफ की रिपोर्ट में विश्व के 184 देशों को कवर किया गया है। इसमें भारत को 25.4 फीसदी की नवजात मृत्यु दर (1000 जीवित बच्चों के बीच) के साथ 31वें रैंक पर रखा गया है।
2. जबकि एक साल पहले भारत नवजात मृत्यु दर में 184 देशों में 28वें नंबर पर सबसे बुरी स्थिति में था। नवजात के पहले 28 दिन बच्चे के सुरक्षित जीवित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3. यूनिसेफ के अनुसार, वैश्विक दर के मुताबिक हर 1000 बच्चों में 19 नवजातों की मौत हो जाती है।
4. वैश्विक स्तर पर 2.6 मिलियन बच्चे जन्म के पहले माह में मर जाते हैं। उनमें 80 फीसदी से ज्यादा मौत बीमारी की सही रोकथाम न होने, समय से पहले जन्म, प्रसव के दौरान जटिलताओं, और न्यूमोनिया जैसे संक्रमण के कारण होती हैं।
5. रिपोर्ट में कहा गया है कि, हर मां और बच्चे के लिए उत्तम और उचित स्वास्थ्य सेवा मौजूद होनी चाहिए। इसमें साफ पानी, स्वास्थ्य सेवा के लिए बिजली, जन्म के पहले घंटों में स्तनपान, मां-बच्चे के बीच संपर्क आवश्यक कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्तमान में सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने से काफी दूर है।

7वां सर्वाधिक लक्षित देश है भारत

वर्ष 2017 में होने वाले 53,000 साइबर हमले का करीब 40 फीसद शिकार भारत का फिनांश सेक्टर रहा। इसे देखते हुए एक रिपोर्ट में भारत को वेब एप्लिकेशन अटैक (डब्ल्यूए) के लिए लक्षित देशों की सूची में सातवें स्थान पर रखा गया है। हैकरों का सबसे पसंदीदा निशाना बैंक, इनवेस्टमेंट एजेंसी और बीमा कंपनियां हैं। सिक्योरिटी संबंधित घटनाएं जैसे फिशिंग, वेबसाइट घुसपैठ, वायरस और रैनसमवेयर ने भारत में तेजी से बढ़ते बैंकिंग, फिनांश सर्विसेज एंड इंश्योरेंस को निशाना बनाया है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्विसेज अकामाई टेक्नोलॉजीज की रिपोर्ट ने कहा- इससे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर व साइबर सिक्योरिटी के लिए रोडमैप नियोजन की वारंटी मिल रही है।

क्या है

1. हमलावरों का मुख्य उद्देश्य हमेशा वित्तीय लाभ रहा है। पिछले कुछ सालों में ये अपना निशाना साधने के लिए रैनसमवेयर जैसे अधिक तरीके अपनाए हैं।
2. अकामाई स्टेट ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी क्यू 4 2017 के शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS) हमले BFSI सेक्टर में पिछली तिमाही की तुलना में 2017 के चौथी तिमाही में 50 फीसद और बढ़ गयी। इसके बाद ही भारत को डब्ल्यूए की लिस्ट में सातवें स्थान पर रखा गया है।
3. DDoS अटैक की संख्या फिनांशल इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ी है, पिछली तिमाही 37 आर्गनाइजेशन में यह देखा गया था जो इस बार 298 हो गया है। 2017 की तुलना में पिछली तिमाही में अमेरिका से हुए DDoS हमले में 31 फीसद की वृद्धि है।
4. भारत में साइबर क्राइम के तहत सजा का प्रावधान है। इसके लिए आईटी (संशोधन) एक्ट 2008 की धारा 43 (ए), धारा 66- आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत अपराध साबित होने पर तीन साल तक की जेल या पांच लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

दुनिया में सबसे पुराने गुफा चित्र निएंडरथल मानवों ने बनाए थे

एक अध्ययन के मुताबिक, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकारी आधुनिक मानव ने नहीं बल्कि निएंडरथल मानव ने की थी। इससे पता चलता है कि पहले की धारणा से उलट निएंडरथल मानव असभ्य और असंस्कृत

नहीं थे। साइंस पत्रिका में प्रकाशित तीन स्पैनिश स्थलों में गुफा चित्रकला के विश्लेषण से पता चलता है कि इन चित्रों को 64,000 साल से भी पहले यानी यूरोप में आधुनिक मानव के आने से 20,000 साल पहले रचा गया था।

क्या है

1. ब्रिटेन की साउथेम्पटन यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविद क्रिस स्टैंडिश ने कहा कि यह अविश्वसनीय रूप से उत्साहवर्धक खोज है। इससे पता चलता है कि निएंडरथल मानव अब तक की धारणा के उलट कहीं ज्यादा परिष्कृत थे।
2. स्टैंडिश ने कहा कि हमारे नतीजे दिखाते हैं कि जिन चित्रों का हम जिक्र कर रहे हैं, वे गुफा चित्रकारी की दुनिया में ज्ञात सबसे पुराने चित्र हैं।
3. इन्हें अफ्रीका से यूरोप में आधुनिक मानवों के आने के कम से कम 20,000 साल पहले रचा गया था। लिहाजा उन्हें निश्चित तौर पर निएंडरथलों ने ही रचा होगा।

अरुणा रेड्डी ने रचा इतिहास

भारतीय जिमनास्ट अरुणा रेड्डी ने मेलबर्न में चल रहे जिमनास्टिक वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 22 साल की अरुणा, महिला वॉल्ड ईवेंट में तीसरे स्थान पर रहीं। कांस्य पदक जीतने के साथ ही वो जिमनास्ट में मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं।

क्या है

1. रेड्डी ने मेडल राउंड में 13.649 का स्कोर किया। वहीं भारत की प्रांति नायक छठे स्थान पर रहीं।
2. टूनामेंट में अरुणा के अलावा स्लोवाकिया की ट्जासा क्लिसलेफ ने 13.800 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता जबकि मेजबान ऑस्ट्रेलिया की एमिली व्हाइटहेड ने 13.699 का स्कोर कर रजत पदक पर कब्जा जमाया।

जीआई उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए चलेगा अभियान

बनारसी साड़ी जैसे किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने बड़ा अभियान शुरू किया है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और निर्माताओं को उपयुक्त बाजार मुहैया कराना और उन्हें प्रोत्साहन देना है। कारीगरों को अधिकार: यहां बायो-एशिया 2018 कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने ज्यॉग्रॉफिकल इंडीकेशंस (जीआई) के प्रत्येक उत्पाद जो किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े हैं, के प्रचार के लिए अभियान शुरू किया है। बनारसी साड़ी जैसे प्रत्येक उत्पाद की पहचान होने के बाद उससे जुड़े हर कारीगर को आइपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) मिलेगा। हमने इसके लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान में सभी राज्यों को जोड़ा जाएगा।

क्या है

1. क्या होगा फायदा: ज्यॉग्रॉफिकल इंडीकेशन मुख्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े कृषि, प्राकृतिक वस्तु या पारंपरिक तौर पर निर्मित उत्पादों (हैंडीक्राफ्ट व इंडस्ट्रियल गुड्स) को दिया जाता है।
2. इस तरह के विशिष्ट नाम के उत्पाद क्वालिटी और खासियत का भरोसा देते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष से संबद्ध होता है। इस भरोसे के चलते ग्राहक उत्पाद खरीदेंगे तो कारीगरों को आर्थिक लाभ मिलेगा। बनारसी साड़ी जैसे क्षेत्र विशेष के उत्पाद बनाने वाले कारीगरों को सरकार के इस अभियान से लाभ मिलेगा।
3. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियम उदार होने के बाद तमाम देश भारत में निवेश के अवसर तलाश रहे हैं। कारोबारी सुगमता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी रैंकिंग जिला स्तर पर होनी चाहिए। अगर सभी जिलों की विकास दर तीन फीसद बढ़ जाती है तो पूरे देश की जीडीपी भी तीन फीसद सुधर जाएगी।
4. व्यापार घाटे पर एक सवाल के जवाब में प्रभु ने कहा कि निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है। विदेशी निवेश में भी लगातार इजाफा हो रहा है। जब से एफडीआई के नियम उदार हुए हैं, बड़ी संख्या में देश निवेश के लिए इच्छुक हैं।

बच्चों को मिलेगा 'बाल आधार'

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जो कि देश के नागरिकों को आधार कार्ड जारी करता है ने अब बच्चों के लिए बाल आधार जारी करने की घोषणा की है। यह आधार कार्ड पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। यूआईडीएआई ने यह जानकारी दी है। यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि बाल आधार में बायोमेट्रिक आईडेंटिफिकेशन जैसे आइरिस स्कैन या फिंगरप्रिंट स्कैन की जरूरत नहीं होगी। जहां कहीं भी बच्चे की पहचान की जरूरत होगी वहां उसके माता पिता साथ जाएंगे। हालांकि जैसे ही बच्चे की उम्र पांच वर्ष के पार होती है, उसे सामान्य आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसमें सभी बायोमेट्रिक डेटिल्स होंगी। बच्चों के लिए जारी किया जाने वाला आधार नीले रंग का होगा। वैसे बाल आधार जरूरी नहीं है, लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक जब बच्चा बड़ा होगा और सरकारी स्कॉलरशिप या उच्च शिक्षा के ग्रांट के लिए आवेदन करेगा तो उसे आधार की जरूरत पड़ेगी। यहां तक की विदेशी विश्वविद्यालय में आवेदन करने के लिए भी बाल आधार की जरूरत होगी।

क्या है

1. अपने बच्चे के साथ आधार इनरोलमेंट सेंटर जाएं और फॉर्म भरें।
2. सेंटर पर बच्चे का और माता पिता में से किसी एक का जीवन प्रमाण पत्र लेकर जाएं।
3. सेंटर पर बच्चे की फोटो खींची जाएगी जो बाल आधार पर लगेगी
4. बाल आधार माता पिता में किसी एक के आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा
5. यहां बच्चे की कोई बायोमेट्रिक डिटेल नहीं ली जाएगी। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जमा कराएं।
6. वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद कंफर्मेशन मैसेज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
7. कंफर्मेशन मैसेज मिलने के 60 दिनों के भीतर माता पिता के रजिस्टर्ड पते पर बाल आधार भेज दिया जाएगा।
8. जानकारी के लिए बता दें कि बच्चे के पांच वर्ष की आयु पार होते ही बाल आधार को सामान्य आधार में बदलवाना अनिवार्य होगा। यहां तक कि अगर बच्चे के पांच वर्ष की आयु पार किये हुए सात वर्ष हो जाते हैं, मसलन बच्चे की उम्र 12 वर्ष हो जाती है तो उसका बाल आधार रद्द कर दिया जाएगा।

वैदिक ज्ञान को विज्ञान साबित करने में जुटे भारतीय वैज्ञानिक

भारतीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय कला संस्कृति केंद्र महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। लक्ष्य है वैदिक ज्ञान को संजोना और संजोए हुए विवरण-तथ्यों का वैज्ञानिक सत्यापन करना। इस कार्य में आइआइटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) के विषय विशेषज्ञों सहित देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं का सहयोग लिया जा रहा है। प्रथम चरण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और दूसरे की कार्ययोजना तैयार है। केंद्र द्वारा एक वेब पोर्टल वैदिकहैरीटेज.जीओवी.इन तैयार किया गया है, जिसमें इन सभी तथ्यों को डिजिटल रूप में सहेजा जा रहा है। प्रतापनंदन झा, निदेशक, सांस्कृतिक सायात्रिक संचार, राष्ट्रीय कला व संस्कृति केंद्र (आइजीएनसीए) ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में देश के अग्रणी आइआइटी संकायों (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) के विषय विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जा रहा है।

क्या है

1. आइजीएनसीए के प्रतापनंदन झा के अनुसार हमें संस्कृति मंत्रालय ने 2014 में यह प्रोजेक्ट सौंपा। तीन चरणों में काम होना है।
2. वेदों की 1131 शाखाओं में से आठ के ही साक्ष्य उपलब्ध हो सके हैं। प्रथम चरण में वैदिक साहित्य की खोजी गई करीब 43 लाख पांडुलिपियों का डिजिटल संरक्षण किया जा रहा है।
3. पांडुलिपियों के अलावा उन परिवारों, आश्रमों, व्यक्तियों को जोड़ा जा रहा है, जो वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा को यथावत बनाए रखने में सफल रहे हैं। देशभर में ऐसे चार आश्रमों की पहचान हुई है। इनके सहयोग से वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरागत मौलिक प्रक्रिया, विशुद्ध लय, उच्चारण, स्वर और ध्वनि इत्यादि को ऑडियो-विजुअल रूप में संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।

4. इन्हें एक जगह पर संरक्षित करने के लिए वैदिकहैरीटेज.जीओवी. इन वेबपोर्टल की स्थापना की गई है। चौथा काम है, वैदिक नॉलेज और वैदिक साइंस को आधुनिक साइंस के मूल आधार के रूप में स्थापित करना।
5. साल 2007 में ऋग्वेद को यूनेस्को मैमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। जिसके बाद साल 2008 में वैदिक मंत्रोच्चारण परंपरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहरों की सूची में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (लोक परंपरा) के रूप में स्थान दिया।
6. इस कार्य के लिए वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों का सहयोग लिया जा रहा है। दूसरे चरण की कार्ययोजना बनाकर मंत्रालय के अनुमोदन को भेजी गई है। इसमें वेदांत, उपनिषद, पुराण और अन्य ग्रंथों पर काम किया जाएगा। इस पूरे उद्देश्य की प्राप्ति में लंबा समय लगेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि यह सार्थक होगा।

डेफोडिल के रस से कैंसर का इलाज

कैंसर का सटीक इलाज खोजने की कोशिशों में जुटे वैज्ञानिकों को डेफोडिल फूल से कुछ राहत मिली है। इस फूल में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व अल्कालॉयड में कैंसररोधी गुण होने का पता चला है। इस अध्ययन के आधार पर विशेषज्ञों ने डेफोडिल के रस से कैंसर के इलाज में मदद मिलने की उम्मीद जताई है।

क्या है

1. बेल्लिजियम की यूनिवर्सिटी लिबरे डी ब्रूसेल्स में हुए इस शोध में विशेषज्ञों ने डेफोडिल में मौजूद कैंसररोधी तत्व हेमेंथामाइन नाम के अल्कालॉयड की पहचान की।
2. प्रमुख शोधकर्ता डेनिस लेफोंटेन ने कहा कि यह तत्व ट्यूमर की बढ़त में मददगार कारकों को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकता है।
3. हेमेंथामाइन राइबोसोम पर नियंत्रण करता है। दरअसल राइबोसोम एक नैनोमशीन की तरह काम करते हैं, जो हमारे प्रोटीन का संश्लेषण कर कोशिकाओं को जीवित रहने में मदद करते हैं।
4. बेरोक-टोक बढ़त के लिए कैंसर कोशिकाएं प्रोटीन के संश्लेषण की बढ़ी हुई दर पर निर्भर रहती हैं। स्ट्रक्चर पत्रिका में छपे शोध में कहा गया है कि हेमेंथामाइन राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन के उत्पादन को रोकता है, जिससे कैंसर की बढ़त रुकती है।

दुकान से सीधे नहीं खरीद सकेंगे एंटीबायोटिक

केंद्र सरकार दुकानों से सीधे एंटीबायोटिक की खरीद पर रोक लगाने की तैयारी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर विशेषज्ञों से राय ले रहा है। इसके लिए जल्द राज्यों को गाइड लाइन जारी की जाएगी। गाइड लाइन के मुताबिक एंटीबायोटिक की बिक्री के लिए डॉक्टर का परामर्श जरूरी होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने हिन्दुस्तान से बातचीत में कहा कि दवाइयों के दुरुपयोग का विषय राज्यों का है। केंद्र इसमें सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए गाइड लाइन तैयार की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई है। विशेषज्ञों ने भी दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के सुझाव दिए हैं। केंद्र जल्दी इसके लिए गाइड लाइन जारी कर देगा।

क्या है

1. स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि यह गाइड लाइन उन्हीं राज्यों में लागू होगी जहां क्लीनिक इस्टैबलिशमेंट एक्ट काम कर रहा है। केंद्र सभी राज्यों को जल्द से जल्द इस एक्ट को लागू करने की अपील करेगा ताकि एंटीबायोटिक के दुरुपयोग पर रोक लगे।
2. केंद्र सरकार डेयरी उद्योग में ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग पर पहले ही सख्ती कर चुकी है। नई गाइड लाइन के तहत पोल्ट्री में एंटीबायोटिक के गलत उपयोग पर भी सख्त नियम बनाने की तैयारी है। देश में पोल्ट्री में एंटीबायोटिक का सबसे अधिक उपयोग होता है।
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 22 देशों में अब तक 5 लाख लोगों पर एंटीबायोटिक दवाओं ने असर करना बंद कर दिया है।

4. निमोनिया में दी जाने वाली दवा पेनिसिलिन का 51 फीसदी लोगों पर कोई असर नहीं देखा जा रहा है, वहीं यूटीआई के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा सिप्रोफ्लोसिन 65 फीसदी मरीजों पर असर नहीं कर रही है।

अब भारत का भी होगा अपना अलग 'साइज'

जब लोग देश-विदेश घूमने जाते हैं, तो वहां से खुद या दोस्त-रिश्तेदारों के लिए सिलेसिलाए परिधान खरीदना चाहते हैं। लेकिन साइज फिट न होने की वजह से मन मसोस कर रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) 'इंडिया साइज' सर्वे करने जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की तरह भारत का भी अपना स्टैंडर्ड साइज होगा। ऐसा होने पर आप न सिर्फ दिल्ली और मुंबई, बल्कि लंदन और न्यूयार्क जैसे शहरों में भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के परिधान 'इंडिया साइज' के मुताबिक, खरीद सकेंगे। टेक्सटाइल मंत्रालय के अधीन काम करने वाले फैशन जगत के प्रतिष्ठित संस्थान निफ्ट ने यह अनूठा सर्वे करने का बीड़ा उठाया है।

क्या है

1. इस सर्वे के तहत देशभर में छह शहरों- कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और शिलांग में 15 से 65 वर्ष की उम्र के 25,000 महिला और पुरुषों के शरीर का साइज लिया जाएगा।
2. लोगों का साइज लेने में कोई त्रुटि न हो इसलिए विशेष प्रकार के थ्रीडी फुल बॉडी स्कैनरों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये थ्रीडी स्कैनर मात्र 10 सेकेंड में पूरे शरीर को स्कैन कर व्यक्ति का साइज ले सकेंगे।
3. निफ्ट के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन राजेश शाह ने कहा कि भारत का अपना साइज बनने पर विदेशी ब्रांड भी उसका इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल जैसे शोरूम में विदेश के साइज के कपड़े उपलब्ध होते हैं, फिर उन पर भारतीय साइज भी लिखा होगा।
4. विदेशों में रहने वाले भारतीय भी वहां स्टैंडर्ड भारतीय साइज के सिले सिलाए वस्त्र खरीद सकेंगे। शाह ने कहा कि निफ्ट के इस कदम से अपेरल इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस सर्वे का विचार तो 2006 में आया था, लेकिन टेक्सटाइल मंत्रालय का जिम्मा स्मृति ईरानी को मिलने के बाद से इस पर काम आगे बढ़ पाया है।
5. यह सर्वे 2021 तक पूरा होगा। दुनिया के दर्जनभर से अधिक देशों में साइजिंग सर्वे हो चुके हैं। इनमें अधिकांशतः विकसित देश हैं। यही वजह है कि अलग-अलग ब्रांड के शोरूम में उनके देश के स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से सिलेसिलाए परिधान मिल जाते हैं।
6. इंडिया साइजिंग सर्वे परियोजना का काम देख रही निफ्ट दिल्ली की प्रोफेसर नूपुर आनन्द ने कहा कि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके तहत थ्रीडी तकनीक से शरीर की मैपिंग की जाएगी, ताकि लंबाई, वजन, कलाई का साइज, कमर और सीने के साइज का सटीक अनुमान लगाया जा सके। एक बार यह डाटा मिलने पर उस साइज के हिसाब से पुरुष या महिलाओं के लिए अलग-अलग वस्त्र तैयार किए जा सकेंगे।
7. इन देशों में हो चुका है साइजिंग सर्वे - अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, स्वीडन, इटली, नीदरलैंड, थाइलैंड, कोरिया, चीन, आस्ट्रेलिया।